संघर्ष संवाद

सितम्बर 2016 नई दिल्ली

साथियों,

व्यापक जनांदोलन तथा जनविरोध के पश्चात भूमि अधिग्रहण अध्यादेश, 2014 को केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए हुए एक लंबा समय हो चुका है, किंतु आज की जमीनी हकीकत यह है कि देश में भूमि अधिग्रहण के लिए कानून की क्या स्थिति है यह किसी को भी नहीं मालूम है। मोदी सरकार ने भले ही केंद्र में कदम पीछे खींच लिए हो किंतु राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से भूमि अधिग्रहण के लिए पूरी छूट दे दी है।

राज्य सरकारें भूमि अधिग्रहण तो कर ही रहीं है इसके साथ ही विरोध करने वालों का नृशंस दमन भी कर रही हैं। मसलन भाजपा सरकार ने झारखंड में सरकार बनाते ही छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी एक्ट) और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (एसपीटी एक्ट) में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी कर दिया किंतु वहीं दूसरी तरफ जब विस्थापिति आदिवासी अपनी छीनी गई जमीनों के बदले रोजगार मांगने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे तो 26 अगस्त 2016 की शाम पुलिस ने उनपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और लगभग 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में हसदेव अरण्य क्षेत्र स्थित अदानी की पर्सा ईस्ट केते बासन कोल माइन के विस्तार के लिए छत्तसीगढ़ सरकार ने नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मनाही के बावजूद बंदूक की नोक पर जनसुनवाई करवाई।

मामला सिर्फ अधिग्रहण पर आकर ही नहीं खत्म होता है। सभी राज्य सरकारें जबरन भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों-आदिवासियों का बुरी तरीके से दमन भी कर रही हैं। आंदोलन के नेतृत्वकारियों पर फर्जी मुकदमे लगाना, उन्हें राष्ट्रद्रोह के झूठे मुकदमों में फंसाने जैसी घटनाएं देश के हर कोने से सुनने में आ रही हैं। इसमें अबतक का सबसे बड़ा उदाहरण तमिलनाडु के इदिनथाकारी गाँव के 8,856 ग्रामवासियों पर अपने क्षेत्र में लग रहे कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के विरोध में आंदोलनक करने की वजह से राष्ट्रद्रोह का मुकदमा थोप दिया है। किंतु सरकार की इन सभी नीतियों के बावजूद इस देश की जनता लड़ रही है अपनी जमीन के लिए, अपने हक के लिए और सम्मानपूर्ण जीवन के लिए...............

राजस्थान
- बांगड़-बिरला सीमेंट प्लांटों के खिलाफ नवलगढ़ बंद : किसान -मजदूर, व्यापारी एकजुट निर्णायक संघर्ष का ऐलान

महाराष्ट्र
- 'मेक इन इंडिया' नहीं यह 'लूट इन इंडिया' है : कॉर्पोरेटस को श्रम और प्राकृतिक संसाधनों की लूट की छूट

छत्तीसगढ़
- अडानी के विकास की बलि पर सरगुजा के आदिवासी
- बस्तर में टाटा ने 11 साल लगाए टाटा बोलने में : स्टील प्लांट बंद परंतु हजारों आदिवासियों को बेघर कर गया टाटा

हिमाचल प्रदेश
- टाटा के लिए मनाली में हजारों पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने की तैयारी

उत्तराखण्ड
- प्रिकॉल मजदूरों पर दमन के विरोध में ट्रेड यूनियन एकजुट

ओडिशा
- जाम्बिया से भारत तक वेंदाता कम्पनी के खिलाफ प्रदर्शन

झारखण्ड
- जमीन के बदले रोजगार माँगने पर गोली से भून डाला
- भू-हड़प अध्यादेश के खिलाफ राजभवन का घेराव

उत्तर प्रदेश
- ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के खिलाफ धरने को 6 माह

पश्चिम बंगाल
- टाटा का सिंगूर में भूमि अधिग्रहण रद्द
- **गुजरात**
- जबरन भूमि अधिग्रहण, कार्पोरेट लूट के खिलाफ निर्णायक जंग का एलान : देश भर के जनसंघर्षों ने लिया संकल्प

मध्य प्रदेश
- नर्मदा जल-जंगल-जमीन हक सत्याग्रह : जल समाधि कुबूल पर नहीं छोड़ेंगे ज़मीन

तमिलनाडु
- 8,856 देशद्रोही : तमिलनाडु का एक ऐसा गांव जिसका हर निवासी जी रहा है देशद्रोह के साए में

दिल्ली
- 75 साल बाद फिर गूंजा 'बहुराष्ट्रीय कम्पनियां' भारत छोड़ो

असम
- काजीरंगा में जबरन विस्थापन का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस फायरिंग, 2 की मौत, दर्जनों घायल

राजस्थान

बांगड़-बिरला सीमेंट प्लांटों के भूमि अधिग्रहण के खिलाफ नवलगढ़ बंद : किसान, मजदूर, व्यापारी हुए एकजुट निर्णायक संघर्ष का ऐलान

राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ तहसील भवन के सामने किसान अपनी उपजाऊ जमीन बचाने के लिए 6 साल से धरने पर बैठे हैं। इन किसानों की 72 हजार बीघा ज़मीन नवलगढ़ में प्रस्तावित बांगड़-बिरला के सीमेंट प्लांटों में जा रही है। कई बार बंद, प्रदर्शन, रैली और धरने जैसे आयोजन कर सरकार को चेतावनी दे चुके किसानों ने एक बार फिर 29 अगस्त 2016 को नवलगढ़ व्यापार मंडल के समर्थन से बाजार बन्द रख कर सरकार को चेतावनी दी है कि बांगड़-बिरला सीमेंट प्लांटों रद्द किया जाए. एसडीएम , नवलगढ़ के जरिए मुख्यमंत्री को को ज्ञापन देते हुए किसानों ने एक बार पुन: कहा है कि हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन किसी भी सूरत में अपनी जमीन कंपनियों को नहीं देंगे। पेश है किसान संघर्ष समिति ,नवलगढ़ का ज्ञापन;

प्रति,

मुख्यमंत्री

राजस्थान सरकार

जयपुर

राजस्थान

द्वारा- एस.डी.एम, नवलगढ़, जिला – झुंझुनु, राजस्थान

विषय : नवलगढ़ में श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट और इंडिया सीमेंट लि. के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण को रद्द करने के बाबत!

महोदया,

सविनय निवेदन है कि हम नवलगढ़ के निवासी पहले भी कई बार आपसे अपनी जमीनें बचाने के लिए गुहार कर चुके हैं और एसडीएम नवलगढ़ कार्यालय के सामने पिछले 6 सालों से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। पिछले 6 सालों से जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों के न तैयार होने के बावजूद सरकार लगातार एकतरफा कार्यवाही करती जा रही है।

हम आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहते हैं कि श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट और इंडिया सीमेंट लि. प्लांट और खनन के लिए नवलगढ़ की लगभग 72,000 बीघे भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित हैं। इस 72000 बीघे में 18 गांव-ढानिया हैं जिनमें 45000 से भी ज्यादा लोग पीढ़ीयों से रह रहे हैं। यह जमीनें न सिर्फ उनकी जीविका का साधन है बल्कि उनके अस्तित्व की पहचान हैं। प्रस्तावित भूमि बहुफसलीय भूमि है जिसको प्रशासन द्वारा बंजर दिखाने का भी प्रयास किया गया। बहुफसलीय जमीनों के साथ शमशान घाट, आम रास्ते, तीर्थ स्थल, गोचर भूमि भी श्री सीमेंट कंपनी के लिए रिको के नाम की जा चुकी है। इनके अलावा पर्यटन स्थल, पर्यावरण, जोहड़, खेजड़ी, मोर इत्यादि को हानि पहुंचेगी। इस भूमि अधिग्रहण में 45,000 लोगों के विस्थापन से इस पूरी आबादी का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। अधिग्रहण में जा रही इस जमीन का लगभग 83 प्रतिशत हिस्सा कृषि भूमि का है और यहां के निवासी मुख्यतः किसान हैं जिनका उगाया अन्न इस देश की जनता का पेट भरता है।

इस अधिग्रहण के प्रस्ताव के समय से ही किसान अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं जिसके बावजूद प्रशासन बिना किसानों की सहमति और मुआवजा उठाए ही उनकी जमीनें राजस्थान इंडस्ट्रियल इन्वेसटमेंट कॉर्पोरेशन (रिको) के नाम कर चुका है जो कि संविधान का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। प्रशासन द्वारा लगातार इलाके में समाचार-पत्रों के माध्यम से यह खबर फैलाकर कि बहुत जल्द इस क्षेत्र को जबरन खाली करा दिया जाएगा किसानों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन लगातार इस कोशिश में है कि किसान डर कर अपना आंदोलन छोड़ दें जबकि किसान इस बात के लिए दृढ़ संकल्प हैं कि वह जान दे देंगे किंतु अपनी जमीनें नहीं छोड़ेगें। इस आंदोलन में वृद्ध से लेकर गांव के बच्चे और महिलाएं सभी सक्रिय हैं। यदि प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की जोर जबर्दस्ती की कार्रवाई होती है तो उसमें होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी सीधी प्रशासन की होगी। छह साल से अपना

आंदोलन शांतिपूर्वक लड़ रहे यह किसान अपने देश के संविधान पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं और संविधान के तहत दिए गए अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत ही अपने विरोध को दर्ज करवा रहे हैं। किंतु प्रशासन सभी संवैधानिक प्रावधानों को दर किनार कर चंद उद्योगपतियों के मुनाफे के लिए हजारों परिवारों के जीवन की बलि चढ़ाने पर तुला हुआ है।

हम प्रशासन के इस कृत्य का तीव्र विरोध करते हुए मांग करते हैं कि-

1. प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण तत्काल रद्द किया जाए।
2. रिको के नाम दर्ज की गई जमीनों को वापस किसानों के नाम पर दर्ज किया जाए।
3. प्रशासन द्वारा किसी भी जबरन कार्रवाई की योजना की जांच कर उसको तुरंत रुकवाया जाए।
4. रिको तथा कंपनियों के पक्ष में जमीनों की गलत रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करने वाले कर्मचारियों तथा अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएं।

इस अधिग्रहण की वजह से इस क्षेत्र के निवासियों तथा पर्यावरण के उपर आने वाले संकट के मद्देनजर आपसे निवेदन है कि उपरोक्त मांगों पर यथा शीघ्र कार्रवाई की जाए।

द्वारा

भूमि अधिग्रहण विरोधी किसान संघर्ष समिति, नवलगढ़ तथा प्रभावित किसान

सिंगूर फैसले ने दिखाई राह : बस्तर के बाद अब नवलगढ़ से उठी जमीन लौटाने की मांग

पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा के लिए हुए भूमि अधिग्रहण के संबंध में 31 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसानों को जमीन वापस दिए जाने के निर्णय ने देश भर में भूमि अधिग्रहण विरुद्ध आंदोलनों को एक नया मोड़ दे दिया है। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायलय के इस फैसले के तुरंत बाद बस्तर के आदिवासियों द्वारा मांग की गई कि उनकी जमीनें, जिस पर टाटा का कब्जा था और जो प्लांट 28 अगस्त 2016 को बंद हो गया, भी उन्हें वापस की जाए। इसी क्रम में अब आवाज उठी है राजस्थान के नवलगढ़ से जहां पर हजारों किसान पिछले दस वर्षों से लगातार सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए हुए अपनी जमीनों के अधिग्रहण के विरुद्ध लड़ रहे हैं। हम यहां पर भूमि अधिग्रहण विरोधी संघर्ष समिति, नवलगढ़ द्वारा 1 सितंबर 2016 को जारी बयान आप के साथ साझा कर रहें;

31 अगस्त 2016 के सुप्रीम कोर्ट के सिंगूर मामले में दिये गये फैसले से नवलगढ के किसानों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। यहां के किसान कह रहे हैं कि यहाँ जो अधिग्रहण की प्रक्रिया अपनाई गई थी वो सरासर गलत थी व जनसुनवाई में भी सभी किसानों ने अपनी ऊपजाऊ व बहुफसली जमीन नहीं देने का निर्णय लिखित में दिया लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ।

प्राईवेट सीमेंट कम्पनी तो सार्वजनिक हित में हो ही नहीं सकती। कम्पनी के अवार्ड पारित हुए छः साल से ज्यादा हो चुके हैं मगर किसान अभी भी धरना देकर अधिग्रहण के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। इस लिए यहाँ नवलगढ के किसानों के साथ तो सिंगूर से भी ज्यादा प्रक्रिया में गफलत हुई है। किस प्रकार लगभग 300 एसी/एसटी परिवारों को जमीन से बेदखल कर दिया है। व कैसे कैसे अपने कम्पनी के कर्मचारियों के नाम करोड़ों की जमीन खरीदी तथा काले धन को सफेद किया।

इसका उदाहरण इस तरह देखा जा सकता है कि जब किसी से जमीन की रजिस्ट्री करवाई जाती हैं तो बहुत ही कम रकम की बनाती हैं। बाकी पैसा नगद किसान को देते हैं इस प्रकार जितना राजस्व सरकारी खजाने में जाना चाहिए उसका 10%भी नहीं जाता। यही नहीं अगर पूरी प्रक्रिया की थोड़ी सी भी जांच हो जाये तो सारी बेईमानी व चालाकी की पोल खुल जायेगी। इस लिए हम सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि हमें बिना सर्वोच्च न्यायालय की शरण जाये हमारी जमीन हमें सौंप दे व इस अतार्किक अधिग्रहण को रद्द करे।

बेखौफ अवैध खनन के खिलाफ खान सुरक्षा महानिदेशालय पर प्रदर्शन

अजमेर, 30 अगस्त। खान सुरक्षा नियमों की परवाह किये बिना बेखौफ अवैध खनन व विस्फोटों से कोटपुतली तहसील के गाँव शुक्लावास, पिंचाणी, पवाना (अहीर) कल्याणपुरा, फतेहपुरा, रूपपुरा (स्थल), ढाणी चोक्या (बुचारा) आदि क्षेत्रों की सभी खानों के आबादी क्षेत्र में संचालित होने तथा हैवी ब्लास्टिंग व हैवी अर्थमूवर्स से जन-जीवन अस्त-व्यस्त बना हुआ है। हैवी विस्फोटों एवं हैवी अर्थमूवर्स को आबादी क्षेत्र से हटाये जाने के लिये कोटपुतली तहसील के प्रभावित गॉवों के 150 से अधिक लोगों ने एकजुट होकर खान सुरक्षा महानिदेशालय कार्यालय, अजमेर, के बाहर धरना देकर अपने हक की आवाज बुलन्द की।

धरना कार्यक्रम को अध्यक्षता करते हुए पी.यू.सी.एल., राजस्थान के सचिव कैलाश मीणा ने खान सुरक्षा महानिदेशक महोदय को सम्बोधित करते हुए पीड़ित व प्रभावित गॉवों की स्थिति बताई कि सरकार व खान निदेशालय से पूर्व में हैवी विस्फोट एवं हैवी अर्थमूवर्स को संचालित नहीं करने के आदेश दिये गये थे, परन्तु गत वर्ष पुनः हैवी ब्लास्टिंग एवं हैवी अर्थमूवर्स कार्य करने के आदेश देकर अपने दोहरेपन का उदाहरण दिया है।

वर्तमान में निरन्तर हैवी ब्लास्टिंग तथा हैवी अर्थमूवर्स के चलते बच्चों की शिक्षा बाधित तो हो ही रही है साथ ही बच्चों, महिलाओं, पुरूषों एवं बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। गॉव में अधिकांशतः टी.बी., दमा, सिलिकोसिस, कैन्सर जैसी जानलेवा बिमारियों ने पैर पसार रखे हैं । आम जन-जीवन भी अस्त-व्यस्त हो रहा है। गॉवों के अधिकांश मकानों में दरारें पड़ रही है जो कि आकस्मिक हादसों का कारण बन रहे हैं। माईनिंग से बने गड्डों से गॉवों में आवाजाही आकस्मिक हादसे एवं दुर्घटना उत्पन्न करने वाले बने हुए है।

राज्य उपाध्यक्ष डी. एल. त्रिपाठी ने सभी उपस्थित लोगों को बताया कि यह अधिकारियों एवं सरकार की मिलीभगत है कि वे अपने स्वार्थ के लिए गरीब जनता के हितों का हनन कर रही है। प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विरद्ध कार्रवाई करता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार भूमि अधिग्रहण अथवा प्रभावित नागरिकों को आवास के बदले आवास, रोजगार के बदले रोजगार, जमीन के बदले जमीन उपलब्ध कराने के पश्चात तथा आदेश मिलने के पश्चात कार्रवाई करे मगर इसके विपरीत ही देखने को मिलता है।

राज्य महासचिव डॉ अनन्त भटनागर ने कहा कि यह सभी संगठनों की लड़ाई है। सभी संगठनों को एकजुट होकर प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवाज बुलन्द करनी होगी। हम सभी संगठनों को प्रत्येक विभागीय हठधर्मिता को नकारते हुए उनसे जवाब मांगते है कि प्रत्येक नागरिक के अधिकार सुरक्षित किये जाये अन्यथा ऐसे आन्दोलन तब तक जारी रहेंगे जब तक हमारी मांगों पर समुचित फैसला नहीं सुनाया जायेगा।

राधेश्याम शुक्लावास समाजसेवी कोटपुतली ने ग्रामीण जनता की दयनीय परिस्थितियों को बताते हुए खान सुरक्षा निदेशक महोदय को सम्बोधित करते हुए बताया कि पिछले दो वर्षो से माइनिंग एवं हैवी ब्लास्टिंग तथा हैवी अर्थमूविंग के चलते 8 ग्रामीणों की मृत्यु हो गई है। अधिकांशतः गॉव से पलायन कर गये हैं तथा जो शेष बचे हुए है उन्हें आकस्मिक हादसों का भय निरन्तर सता रहा है। गॉवों में आये दिने रात्रीकालीन विस्फोंटों से सभी ग्रामीण निरन्तर भय के साये में अपना जीवन व्यतीत कर रहे है।

पी.यू.सी.एल. सदस्य केशवराम सिंघल ने कहा कि आज के राजनितिक परिवेश एवं अफसरशाही को देखते हुए जायजा लिया जा सकता है कि यह देश के लोकतंत्र की समाप्ति का खतरा है। इस प्रकार की दोहरेपन की राजनीति एवं अधिकारियों की मनमानी के विरोध में निरन्तर जन-आन्दोलन करने से भी कोई उचित समाधान नहीं निकलने की दशा में भारत जैसा लोकतांत्रिक देश का भी सीरिया व अन्य आक्रामक देशों की भाति खुलेआम कत्लेआम पर मजबूर होना तय है।

धरना कार्यक्रम में अंजु नयाल, सोनिया, सिस्टर अलवीना, प्रतापसिंह, दशरथ सिंह, आदि ने भी आबादी क्षेत्र में संचालित हो रहे खानों द्वारा अवैध खनन पर बातें राखी ।

'मेक इन इंडिया' नहीं यह 'लूट इन इंडिया' है : कॉर्पोरेटस को श्रम और प्राकृतिक संसाधन लूटने की छूट

विस्थापन विरोधी जनविकास आंदोलन के बैनर तले 'मेक इन इंडिया का धोखा' पर एक दिवसीय सेमिनार नागपुर में 29 अगस्त, 2016 को आयोजित किया गया। सेमिनार में छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, चंडीगढ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र आदि राज्यों से जमीन अधिग्रहण के खिलाफ लड़ाई लड़ रही जनता ने भागीदारी की जिसमें वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ता, शिक्षाविद्, बुद्धिजीवी शामिल थे। कार्यक्रम की शुरूआत वरिष्ठ पत्रकार उमेश चौबे के स्वागत भाषण से हुई और इसके बाद छत्तीसगढ़ से आए आदिवासी सांस्कृतिक समूह ने गीत गाया।

उमेश चौबे जी ने कहा भारत में जमीन के छीने के खिलाफ लोगों की लड़ाई प्राचीन काल से चली आ रही है और अभी मेक इन इंडिया की घातक नीतियों के खिलाफ हमें गोलबंद होने की जरूरत है। इसके बाद मेक इन इंडिया नीति के उपर हैदराबाद के बी0एस0 राजू ने विस्तृत विश्लेषण पेश किया। उन्होंने उन राजनीतिक कारणों को सामने रखा जो एक ऐसी नीति को क्रियांवित करने के लिए सरकार को उतारू कर रहे हैं जिससे स्थानीय उद्योगों को बंद करके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को विकास बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी नीति जो एक बड़े तबके को सही मायने के विकास से वंचित करती है का हमें कड़ा विश्लेषण करना चाहिए। इसके बाद ओडिशा, छत्तीसगढ़ में खनन और अन्य परियोजनाओं के खिलाफ जारी लडाईयों की प्रस्तुति की गई। चंडीगढ़, भोपाल, मध्यप्रदेश इत्यादि में स्मार्ट सिटी से होने वाले विनाश और उसके खिलाफ जारी आंदोलनों की भी प्रस्तुति की गई।

छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड से आए कार्यकर्ताओं ने बताया कि सरकार इस बात का प्रचार कर रही है कि निर्दोष बेचारे आदिवासी नक्सल एवं सरकार के बीच में पिस रहे हैं, लेकिन असलियत यह भी है कि बड़ी तादाद में अपनी जमीन जंगल एवं वन संसाधनों को बचाने के लिए दलित, आदिवासी एक जुझारू लड़ाई लड रहे हैं। और इसी लड़ाई को दबाने के लिए सरकार नक्सल उन्मूलन की आड़ में उन पर हमला कर रही है। झारखंड के प्रो. रमेश शरण ने भारत में आर्थिक विकास के इतिहास को विस्तार से रखा और इसे जनविकास आंदोलन की स्थापना के जनसंघर्षों से जोड़कर रखा। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरणीय कानूनों, जमीन कानूनों, पेसा, जैसे कानूनों को लागू करने में असफल रही है। साथ ही आदिवासी इलाकों में बेतहाशा राजकीय दमन किया जा रहा है, स्कूलों में पुलिस कैम्प बनाए जा रहे हैं। और सरकार खुले तौर पर कॉरपोरेट व कॉरपोरेट नेताओं के साथ मिलकर जनता के खिलाफ नीतियां बना रही है। अगले सत्र में डा. श्रीनिवास खंडेलवाल ने कहा कि सरकार धीरे धीरे आदिवासियों और दलितों के खिलाफ नीतियों को लागू कर रही हैं। उन्होंने महाराष्ट्र व आसपास के राज्यों के उदाहरण देकर मेक इन इंडिया की नीतियों का खुलासा किया।

'मेक इन इंडिया' का धोखा सेमिनार में प्रस्तावित प्रस्ताव-

- 'मेक इन इंडिया' जैसे शब्दाडम्बर के जरिए सरकार जल-जंगल-जमीन-प्राकृतिक संसाधन व राजकीय पूंजी को साम्राज्यवादी पूंजीपतियों व भारत के बड़े पूंजीपतियों को सौंप रही है। स्टार्ट अप, स्किल डेवलपमैंट, इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर, एक्सप्रेस-वे, स्मार्ट सिटी, खनन, प्लांट, बड़े बांध इसी नीति के तहत लगाए जा रहे हैं। इसके तहत लाखों एकड़ जमीन किसानों से छीनी जा रही है, बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं। मेक इन इंडिया के तहत रोजगार पैदा करने का दावा छलावा मात्र है, क्योंकि ज्यादातर उद्योगों में स्वचालित मशीनों से उत्पादन होगा, जिसमें नाममात्र के मजदूरों की ही जरूरत होगी। इन मजदूरों को लगभग तमाम कानूनी अधिकारों से वंचित कर उन्हें लगभग बंधुआ मजदूर जैसा बनाकर काम करवाया जा रहा है और किसानों को बदहाली में पहुंचाया जा रहा है।

- वन संरक्षण के नाम पर आदिवासी बहुल इलाकों से ग्रामीणों को जंगल और जमीन से खदेड़ा जा रहा है। एक ओर, गुमला, नवापाड़ा जैसी जगहों पर वन्य अभ्यारण्य, नेशनल पार्क के नाम पर जंगलों से स्थानीय निवासियों को हटाने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी ओर, पिछले 7 सालों में 500 से अधिक जैव विविधता वाले घने जंगलों और उसके इर्द-गिर्द के इलाकों में रहने वाली जनता को ग्राम सभा की अनुमति के बगैर व तमाम कानूनों को ताक पर रखकर विभिन्न परियोजनाओं के लिए दे दिया गया है। इस विस्थापन का हम विरोध करते हैं।
- कैम्पेस्टरी ऐफोरेस्टेशन फंड एक्ट, 2016 जैसे कानून वृक्षारोपण के नाम पर हजारों एकड़ जमीन से आम जनता को उजाड़ने की योजना के अलावा कुछ नहीं है। हम इस कानून को वापिस लेने की मांग करते हैं।
- तथाकथित हरित क्रांति के नाम पर भारत की खेती-किसानी को साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा नियंत्रित बाजार मे धकेला गया जिससे परादेशीय विदेशी कम्पनियां व भारत के बड़े पूंजीपति बीज, दवाई, रासायनिक खाद आदि के जरिए कृषि क्षेत्र से अथाह मुनाफा कमा रही है। इस कारण सूदखोरी को अत्याधिक बढ़ावा मिला है। इस हरित क्रांति ने देश के अन्नदाता मेहनतकश किसानों को अपना गला खुद घोटनें पर मजबूर कर दिया। ये आत्महत्या नहीं, बल्कि साम्राज्यवादी ताकतों व सरकार द्वारा की गई हत्या है। हाल में पूर्वी भारत में दूसरी हरित क्रांति के नाम पर जहरीले जी.एम. बीज को बढ़ावा दिया रहा है जो किसानों के हालात को बद से बदतर बना देगी। हम इस तथाकथित दूसरी हरित क्रांति का विरोध करते हैं।
- भारत सरकार लगातार शिक्षा, स्वास्थय, बिजली, पानी, राशन जैसी सुविधाओं से हाथ पीछे खींच रही है। परन्तु दूसरी ओर नॉन-परफार्मिंग एसेटस (एनपीए) के नाम पर लगभग 6 लाख करोड़ रूपये बड़े पूंजीपतियों के हवाले कर दिए। इसके अलावा कॉरपोरेट घरानों को इस साल लगभग 6 लाख करोड़ रूपये की छूट दी गई है। यहां तक कि कोयला खदानों के नए आवंटन में कम्पनियों की 1200 करोड़ रूपए की लेवी माफ कर दी। हम जनता की खून पसीने की गाढ़ी कमाई को कॉरपोरेट घरानों और बड़े पूंजीपतियों के हवाले करने का विरोध करते हैं और मेहनतकश जनता को बुनियादी सुविधाएं निशुल्क देने की मांग करते हैं।
- हम बढ़ते ब्राह्मणवाद, हिन्दूत्ववाद एवं फर्जी राष्ट्रवाद के अंतर्गत महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले और दमन का विरोध करते हैं जोकि गऊ रक्षा, फर्जी राष्ट्रववाद, लव जेहाद, घर और समाज की इज्जत, घर वापसी, धार्मिक संरक्षण के नाम पर किया जा रहा है। जहां-जहां भी दलित, आदिवासी, महिलाएं व अल्पसंख्यक अपने अस्मिता, अस्तित्व, जमीन और आजीविका की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन पर दमन-उत्पीडन बढ़ रहा हैं। हम उन सभी लड़ाईयों का समर्थन करते हैं, जो ब्राह्मणवादी व सामंती व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस समय उना से शुरू हुई दलित हक-हकूक की लड़ाई का हम पुरजोर समर्थन करते है और इसे अपनी लड़ाई मानकर इसके विस्तार के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।
- खनिजों के उत्खनन और जमीन पर कब्जे के लिए सरकार और कॉरपोरेट घरानों के गठजोड़ के द्वारा झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं अन्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सारे कानूनों को ताक पर रखकर जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है तथा छोटा नागपुर काश्तकारी कानून और संथाल परगना काश्तकारी कानून जैसे कानूनों में बदलाव कर आदिवासियों की जमीन की लूट को कानूनी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रयास के तहत इन इलाकों में राजकीय सैन्यीकरण बढ़ाया जा रहा है। लड़ाकू जनता के उपर दमन बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में आम ग्रामीणों को फर्जी मुठभेडों में मारा जा रहा है। महिलाओं के साथ यौन हिंसा सुरक्षा बलों की रणनीति का हिस्सा बन गई हैं, जिसे तमाम सरकारें आंख मूंद कर समर्थन दे रही हैं। इस दमन का विरोध कर रहे वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, शोधकर्ताओं पर भी जुल्म ढहाया जा रहा है, इलाके से खदेड़ा जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं।

- कश्मीर में भारत की सेना व स्थानीय पुलिस हमलावर सेना जैसा व्यवहार कर रही है। जिस कारण 50 से ज्यादा नवयुवकों की मौत हो चुकी है, तथा हजारों की संख्या में जनता को पैलेट गन से अपंग कर दिया है। सरकार जनता की आवाज सुनने बजाए व कश्मीर मामले का जहां पर सरकार राजनैतिक हल निकालने की बजाए 50 से अधिक दिनों से कर्फ्यू लगा रही है। यह सम्मेलन भारत सरकार से मांग करता है कि कश्मीर के सैन्य कब्जे की रणनीति को छोड़कर जनता की आकांक्षा के प्रति संवेदनशील होकर एक राजनीतिक हल की प्रक्रिया शुरू करे।
- विस्थापन विरोधी जनविकास आंदोलन के साथ जुड़े कार्यकर्ताओं विरेन्द्र कुर्रे,जोकि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में लक्ष्मी सीमेंट के जबरन जमीन अधिग्रहण के खिलाफ लड़ रहे थे, और दासरू मल्लिक, जो नियमगिरी में खनन परियोजनाओं के खिलाफ लडाई की अगुआई कर रहे थे, सहित जेल में बंद तमाम अन्य आंदोलनकारियों को तुरंत बेशर्त रिहा किया जाए। और आफ्सपा, यूएपीए, छत्तीसगढ़ जनसुरक्षा अधिनियम आदि तमाम दमनकारी कानूनों को निरस्त किया जाए।
- गडचिरौली में सुरजागढ़, बांडे, आगरी-मसेली व दमकोंडवाही में लौह खादान को तुरंत बंद किया जाए। टिपागड़ में अभ्यारण्य परियोजना वापिस लिया जाए। इन खादान परियोजनाओं के खिलाफ लड़ने वाले कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है।

19 तथ्य जो जैतापुर परमाणु ऊर्जा प्लांट पर आपत्ति दर्ज करते है

महाराष्ट्र के रत्नागिरी शहर से 60 किमी. दूर स्थित जैतापुर गांव में विश्व की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा की परियोजना सन् 2005 से प्रस्तावित है। परियोजाना के खिलाफ स्थानीय निवासी शुरू से ही संघर्षरत हैं। लेकिन सरकार लाखों लोगों की सुरक्षा, रोजगार एवं जैव-विविधता को खतरे में डालकर 9900 मेगावाट बिजली पैदा करना चाहती है। यह जानते हुए कि ज्यादातर विकसित देश 'परमाणु ऊर्जा' को ना कह रहे हैं और वैकल्पिक ऊर्जा के नए विकल्प की तलाश में हैं। अगस्त के पहले सप्ताह में जन हक सेवा समिति ने देश की राजधानी दिल्ली में सांसदों को अपना ज्ञापन सौपा है. जिसे हम आपके साथ साझा कर रहे है;

प्रति,

विषय: जैतापूर न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों रद्द करना चाहिए

महोदय/महोदया,

गाँव - माडबन, ता-राजपूरा जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र में केंद्र सरकार द्वारा न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रस्तावित किया गया है। 1650 मेगा वांट के 6 संयंत्र, मतलब कुल 1100 मेगा वॉट का प्रस्तावित प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट हैं।

स्थानीय निवासी तथा सामाजिक कार्यकर्ता इस प्रकल्प का 2005 से, जबसे यह प्रस्तावित है तबसे इसका विरोध करते आये हैं। लोगों ने बहुत सारे आंदोलन भी किये हैं। इसके बावजूद सरकारें इस प्रकल्प का अंजाम देने के लिए जबरदस्ती प्रयत्न कर रही हैं, बजाय अपनी जनता की आवाज सुने।

हम आपसे प्रार्थना करते है की निम्नलिखित विरोध के कारणों का आप अध्ययन करे व इस प्लांट के खिलाफ लड़ाई में हमारा साथ दें ।

1. **भूकंप का क्षेत्र** जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट जहां प्रस्तावित है वह जगह भूकंप प्रवण क्षेत्र 3 में आती है, एवं भूकंप प्रवण क्षेत्र 4 से बहुत ही नजदीक है। स्थान निश्चिती रिपोर्ट जो 2003 में सरकार द्वारा श्री. चतुर्वेदी की अध्यक्षता में बनाई गई थी उस रिपोर्ट में माडबन टापू जहाँ न्यूक्लियर संयत्र प्रस्तावित है उसके नीचे से सेसमिक फॉल्ट लाईन जा रही है, ऐसा स्पष्ट लिखा हैं, तथा नजदीकी 5 कि.मी. के अंदर और दोनों फॉल्ट लाईन जा रही है। सेसमिक फॉल्ट लाईन के उपर या आस-पास न्यूक्लियर संयत्र न लगाये। आर.टी.आई के तहत मिली जानकारी से पता चला की 20 सालों में **जैतापुर के क्षेत्र में 15 भूकंप के धक्के** महसूस हुये। इसलिए जैतापुर में न्यूक्लियर संयत्र लगाना खतरे से खाली नहीं है।

वर्ग किलोमीटर परिसर सजीव आवास के काबिल नहीं रहेगा।।

7. नियमित रूप से चलता हुआ प्लांट भी एक दुर्घटना ही होता है। किरणोत्सार संयत्र के बाहर नियमित रूप से फेंका जाता है। न्यूक्लियर प्लांट के परिसर में बांझपन, कैन्सर, त्वचा रोग, मतिमंद बच्चे पैदा होने जैसी गंभीर समस्यायें होती हैं। भारत में तारापुर , रावतभाटा, कल्पकम तथा जादूगोडा के परिसर में यह तथ्य सामने आया है।

8. जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट जहाँ प्रस्तावित है, वो माडबन प्लेटो लटेराईट पत्थर का बना है। लेकिन नींव के लिए काले बसाल्ट तक जाना जरूरी है। समुद्र की लेवल तक तो बसाल्ट परिसर में है ही नही। प्रकल्प स्थल सुनामी के हमले से सुरक्षित है, वैज्ञानिकों का यह कथन सरासर झूठ है।

2. जैतापुर प्रकल्प के संयंत्र को ठंडा करने के लिए समुद्र से **रोजाना 8200 करोड. लीटर पानी** लिया जाएगा, और वह सामान्य तापमान से 9 डिग्री से भी अधिक गरम होकर समुद्र में फिर से छोड़ा जाएगा। इससे समुद्री जीवों को जान लेवा खतरा है। यहाँ के परिसर में हजारों मछुआरे अपना पेट समुद्र की मछवारी से ही भरते हैं।

3. न्यूक्लियर पावर प्लांट के परिसर में मछवारी प्रतिबंधित क्षेत्र कायदे से लागू होता है। मछवारे परिसर में मछली नहीं पकड सकेंगे।

4. इतनी बड़ी मात्रा में समुद्र तथा हवा में गर्मी प्रक्षेपित होने के कारण परिसर का तापमान बढ़कर उसका हापूस आम पर बुरा असर होगा।

5. जैतापुर प्रकल्प से **सालाना 300 टन** (3 लाख किलो) न्यूक्लियर वेस्ट तैयार होगा। उसका असर हजारो वर्षों तक वहां के सजीवों को भुगतना पड़ेगा।

6. **चेर्नोबिल तथा फुकुशिमा न्यूक्लियर अपघात** से हुए परिणाम इतने भयानक हैं, की कोई दुशमन सरकार ही होगी जो अपनी जनता को इस नरक में ढकेलेगी। कहीं हजारो सालों तक चेर्नोबिल व फुकुशिमा का कई हजार

9. **भारत- अमरिका परमाणु डील** के बाद फ्रांस की अरेवा कंपनी से 6 न्यूक्लियर संयंत्र लगाने का समझौता हुआ। यह अरेवा कंपनी 2015 में दिवालिया हो गयी है। उसकी जगह अपनी सरकार ने घुटने टेकते हुए फ्रांस की दी हुअी इडीएफ कंपनी से मार्च 2016 में फिर से समझौता किया। अरेवा क्यों गयी, इडीएफ क्यों आयी इसका खुलासा आजतक सरकार ने किया नही।

10. **डॉ. काकोडकर से लेकर सभी का कहना है की जैतापुर प्रकल्प अंतररारष्ट्रीय कंपनियों को बिजनेस देने के लिए आ रहा है।** मतलब बिजली की जरूरत से इसका कोई लेना-देना नहीं है।

11. अरेवा कंपनी जो जैतापुर के लिए इपीआर टेक्नोलॉजी का संयत्र लगाने का प्रस्ताव रखती है, वैसा आज तक कोई भी परमाणु संयत्र पूरे विश्व में ऑपरेशन में नही है। फ्लमंविल्लें - फ्रांस में एसे ही प्रकल्प में फ्रांस के अणु नियामक संस्था ने

बहुत गंभीर दोष पाये हैं। यह 7 अप्रैल 2015 को उनके प्रेस रीलीज में उन्होंने बताया। लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री ने 10 अप्रैल 2015 को पैरिस दौरे के दरम्यान जैतापुर के बारे में और समझौते किये।

12. फिनलैंड और चीन में बांधे जा रहे ऐसे ही प्रकल्प तकनीक के दोष के कारण देरी से चल रहे है, एवं महंगे हो गए हैं।

13.जैतापुर प्लांट की कैपिटल कीमत अंदाजन साढ़े छह लाख करोड़ के भी उपर है। मतलब 65 केवी प्रति मेगा वॉट। सोलर प्लांट की कैपिटल कीमत 6.5 करोड तक आ गयी है। अगर कोई सब्सिडी न दी जाए तो कीमत रू. 20/- प्रति युनिट केवी होगी।

14. अणु उर्जा को ग्रीन कहना सरासर झूठ है। युरेनियम मायनिंग, उस पर प्रक्रिया करके इंधन में रूपांतरित करना, ट्रान्सपोर्ट, प्रकल्प का कंस्ट्रक्शन आदि चीजो में फॉसिल इंधन उपयोग में नहीं लाया जाता है। तथा उर्जा-प्रक्रिया में बहुत सारी गर्मी वातावरण में फैलती है। न्यूक्लियर वेस्ट का प्रबंध करना भी उर्जा खर्च करता है। 40-50 साल जो प्रकल्प की आयु होती है, उसके बाद उसका डी-कमिशनींग करना बहुत खर्चीला तथा इंधन खपत वाला होता है। इसलिए यह ग्रीन उर्जा नही है। पूरे अणु-चक्र में कार्बन किसी भी अन्य उर्जा प्रक्रिया से होनेवाली उत्सर्जन से ज्यादा होता है।

15. अगर प्रकल्प में आघात हुआ तो उसकी जिम्मेदारी प्रकल्प बनानेवाली विदेशी कंपनिया लेने को तैयार नही है। उनके लिए 1500 करोड़ का उत्तरदायित्व भी महंगा लग रहा है। बल्कि फुकुशिमा दुर्घटना जो अब भी चल रही है, उसका खर्चा 1.5 लाख करोड के भी ऊपर पहुंच गया है। यह उत्तर दायित्व भारत सरकार, स्टेट बैंक, नैशनल इन्श्योरेंस आदि कंपनियों का पैसा लगा के इंश्योरेंस पूल बना रही है। मतलब सभी खर्चा भारतीय करदाताओं के सर पर रहेगा।

16. भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत ही गुप्त है। यह सीधा पीएमओ पंत प्रधान कार्यालय के तहत आता है। सामान्य जनता को जानकारी पूरी तरह से मिलती नही है।

17. जैतापुर आंदोलन का ब्योरा जो हमने इस पत्र के साथ जोड़ा है, उससे साफ जाहिर होता है की यह प्रकल्प खड़ा करने के लिए विदेशी कंपनीयों के हित के लिए अपनी जनता पे गोली चलाना, झूठे दाखिल करना ऐसे पैंतरे सरकारें अपना रही है।

18. पूरे विश्व में न्यूक्लियर लॉबी का दबाव लाके बहुत सारे देश, नवीनतम उर्जा सोलर, विंउ के माध्यम से स्वावलंबन साध रहे है। जर्मनी ,स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ताइवान आदी देशों ने ऐसा एलान कर दिया है।

19. प्रकल्प की जनसुनवाई तथा पर्यावरणीय परिणामों की रिपोर्ट (इआयए) यह सभी फार्स था। जबरन झूटे जवाब देके इस प्रकल्पों को 29.11.2010 को क्लिअरन्स दिया गया है। बल्कि आज तक कोई भी डिजाईन, न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेन्ट, प्रकल्प तथा बिजली की कीमत, बिजली बाहर कैसे ले जाएंगे उसका कुछ भी प्लान तैयार नही है। 5.5 साल बाद भी सब अंधेरे में है।

और बहुत सारे प्रश्न जैतापुर प्रकल्प के बारे में उपस्थित होते हैं। यह प्रकल्प रद्द करवाना सभी भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है।

हम आप से आह्वान करते हैं की सच्चाई जान के जैतापुर प्रकल्प विरोधी लड़ाई में हमारे साथ जुट जाएं।

-जन हक्क सेवा समिती

छत्तीसगढ़

अडानी के विकास की बलि पर सरगुजा के आदिवासी

छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले के हसदेव अरण्य क्षेत्र स्थित अदानी की पर्सा ईस्ट केते बासन कोल माइन के विस्तार के लिए कल 11 सितम्बर 2016 को तय पर्यावरणीय जनसुनवाई (देखें लिंक http://www.sangharshsamvad.org/2016/08/11_28.html) सम्पन्न हुई। जनसुनवाई से पहले ही अदानी से इसे करने के लिए तरह तरह की तिकड़में रची थीं जिसमे अपने गुंडे बिठाने से लेकर गाँव वालों को डरना धमकाना शामिल था जिससे की लोग डर के मारे जनसुनवाई में भागीदारी ही ना करे और जैव विविधता, दुर्लभपशु-पक्षी से भरपूर इस छेत्र को लूटने की छूट मिल जाए (देखें लिंक-http://www.sangharshsamvad.org/2016/09/blog-post_35.html)। 11 सितंबर को हुई जनसुनवाई में अदानी की यह कोशिश रंग लाई और पूरी जनसुनवाई के दौरान प्रशासन अदानी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास में जुटा नजर आया। हम यहां पर 11 सितंबर की जनसुनवाई पर गिरीश कुमार की रिपोर्ट के साथ-साथ ग्राम सभा परिषद द्वारा जनसुनवाई के विरोध में जिलाधीश को सौंपा गया आवेदन भी साझा कर रहे हैं;

प्रशासन द्वारा दिनांक 11.09.16 को ग्राम बासेन में अदानी कोयला कम्पनी के पक्ष पर्यावरण जन सुनवाई कराई गई, जहां कम्पनी अपने धन बल का उपयोग कर जन सुनवाई की प्रशासनिक रस्म अदायगी पूरी की गयी। गांव के कुछ लोगों से चर्चा के दौरान बताया गया कि अदानी समूह के आदमियों द्वारा विगत कई दिनों से ग्राम घाट बर्रा में घर घर में पैसे बाट कर कम्पनी के पक्ष में जन सुनवाई में समर्थन व्यक्त करने की स्क्रिप्ट रटवाई गयी व जन सुनवाई के दिन अदानी के आदमियों द्वारा ग्राम घाटबर्रा के सभी स्क्रिप्ट रटे लोगों को गाड़ियों में भर भर कर लाया गया तथा जन सुनवाई स्थल पर पुलिस की निगरानी में उनकी एक लम्बी कतार बना कर खड़ा कर दिया गया और फिर जन सुनवाई का दौर शुरू किया गया जिसकी बाद में कुछ लोगों द्वारा विरोध भी किया गया किंतु पूरा उपस्थित प्रशासन अदानी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास में जुटा नजर आया। अगर तीव्र विरोध नही हुआ तो अगले 30 तीस वर्षों में समाप्त हो जाएगा आदिवासी जिले सरगुजा का पूरा अस्तित्व।

नैशलन ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने 23 मार्च 2014 को पर्सा ईस्ट केते बासन खदान की वन भूमि डायवर्सन की स्वीकृति को निरस्त कर दिया था और आदेश दिया था की पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति इस परियोजना की पुनः जांच करे और एक समग्र अध्ययन करे की क्या यह क्षेत्र पर्यावरण और जैव विविधता की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि कोयला खनन के लिए इसका विनाश नहीं किया जा सकता।

गौर तलब है कि NGT ने अपने फैसले में इस बात का विशेष उल्लेख किया था कि वन सलाहकार समिति लगातार इस क्षेत्र के संरक्षण के लिए कोयला खनन का विरोध करती रही है और इस सलाह के विपरीत जाकर परियोजना को मिली वन डायवर्सन की स्वीकृति ना सिर्फ गैर कानूनी है परन्तु इससे कई अहम सवालों की अनदेखी की गयी है।

NGT ने कहा था की इस क्षेत्र में भरपूर जैव विविधता, दुर्लभपशु-पक्षी, तथा हाथी कॉरीडोर होने की जानकारी के चलते खनन स्वीकृति से पूर्व इसका सम्पूर्ण समग्र अध्ययन अत्यंत आवश्यक है।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल 2014 को निर्देश दिए की मामले की सुनवाई पूरी होने तक और पर्यावरण मंत्रालय की जांच पश्चात नए निर्देश आने तक मौजूदा खनन कार्य जारी रह सकता है।

परन्तु सुप्रीम कोर्ट में चल रही कानूनी प्रक्रिया को नज़रन्दाज़ कर और पर्यावरण मंत्रालय के वन सलाहकार समिति के किसी अध्ययन एवं अंतिम निर्देश के पूर्व ही इस खनन परियोजना के विस्तार की कार्यवाही की जा रही है | साथ ही कम्पनी के निर्देश पर तैयार पर्यावरणीय जांच रिपोर्ट ने यह तक बताना ज़रूरी नहीं समझा की इस सम्बन्ध में कोई भी नई प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय से प्रभावित होगी|

समिति का लंबित अध्ययन ही बेमानी हो जायेगा, क्योंकि जांच का मूल आधार ही जांच से पूर्व ही नष्ट हो जाएगा | साफ़ है की परियोजना विस्तार की यह मंशा कानूनी प्रक्रिया का एक भद्दा मज़ाक है और पर्यावरणीय दुष्प्रभाव के प्रति कंपनी की अत्यंत असंवेदनशीलता का गहरा उदाहरण है |

11 सितम्बर 2014 को पर्यावरणीय स्वीकृति के समबन्ध में होने वाली जनसुनवाई से एक और अहम् सवाल उत्पन्न होता है | क्या ऐसे किसी परियोजना को नई पर्यावरणीय स्वीकृति दी जा सकती है जिसकी वन भूमि डायवर्सन की स्वीकृति ही निरस्त हो चुकी हो | या फिर क्या संवेदनशील इलाकों में वन स्वीकृति के बिना ही पर्यावरणीय स्वीकृति दी जा सकती है | इसका जवाब शायद पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के 31 नवम्बर 2011 के निर्देश में ढूँढा जासकता है जिसमें स्पष्ट कहा गया था की वन स्वीकृति के बिना या उसकी प्रक्रिया के पूर्ण होने से पहले ना ही पर्यावरणीय स्वीकृति दी जा सकती है और ना ही इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यावाही की जा सकती है |

गौरतलब है की इस निर्देश वाले पत्र का ज़िक्र तो कंपनी की रिपोर्ट में किया गया है लेकिन इस निर्देश के पालन की दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया, क्योंकि कानूनी रूप से इस परियोजना की वन स्वीकृति निरस्त की जा चुकी है और उस पर सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित है |

इन तथ्यों को ध्यान में रख कर छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन यह मांग करता है की आगामी 11 सितम्बर 2016 को होने वाली जनसुनवाई निरस्त की जाए और कंपनी द्वारा जनता को भ्रमित करने के प्रयासों को तुरन्त रोका जाए | साथ ही केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय कानूनी निर्देश का पालन करते हुए वन सलाहकार समिति को इस क्षेत्र के सम्पूर्ण समग्र अध्ययन के तुरंत निर्देश दे जिसमें NGT द्वारा निर्देशित सभी 7 मुद्दों और प्रश्नों की जांच शामिल हों |

छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन मांग करता है की सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय से पूर्व इस परियोजना का कोई विस्तार ना किया जाए जिससे इस क्षेत्र के पर्यावरण, जैव विविधता और आदिवासी संस्कृति का विनाश हो जायेगा।

छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन मांग करता है कि-

कोलमाईंस विस्तार परियोजना की जनसुनवाई रद्द की जायें.

परियोजना विस्तार की यह मंशा कानूनी प्रक्रिया का एक भद्दा मज़ाक है

परियोजना के सम्बंधित गलत या भ्रमात्मक जानकारी देना या किसी अहम् जानकारी को छुपाना कानूनी अपराध

NGT ने कहा था की इस क्षेत्र में भरपूर जैव विविधता, दुर्लभपशु-पक्षी, तथा हाथी कॉरीडोर होने की जानकारी के चलते खनन स्वीकृति से पूर्व इसका सम्पूर्ण समग्र अध्ययन अत्यंत आवश्यक है |

क्या ऐसे किसी परियोजना को नई पर्यावरणीय स्वीकृति दी जा सकती है जिसकी वन भूमि डायवर्सन की स्वीकृति ही निरस्त हो चुकी हो

जनसुनवाई निरस्त की जाए और कंपनी द्वारा जनता को भ्रमित करने के प्रयासों को तुरन्त रोका जाए |

छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन मांग करता है की सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय से पूर्व इस परियोजना का कोई विस्तार ना किया जाए |

छत्तीसगढ़ सरकार कभी आदिवासियों की आवाज नहीं सुनती, फिर जनसुनवाई की नौटंकी क्यों ?

छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर क्षेत्र के कांकेर जिले के आदिवासी गाँव रसूली की 220 हेक्टेयर जमीन नवभारत फ्यूज कंपनी को देने का फरमान जारी कर दिया है. कम्पनी इस जमीन पर आयरन ओर की माइनिंग करेगी. 7 सितम्बर 2016 को राज्य सरकार, कम्पनी और पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा गाँव से 35 किलोमीटर दूर भानुप्रतापपुर में पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई की नौटंकी की गई है. दूरी एवं जानकारी के अभाव में प्रभावित ग्रामीण आदिवासी सुनवाई में उपस्थिति नहीं हो पाये। जो कुछ ग्रामीण पंहुचे भी उनकी आपत्तियों को नजर अंदाज कर दिया गया. बस्तर से तामेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट;

छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य कांकेर जिले में नवभारत फ्यूज कंपनी लिमिटेड के प्रस्तावित आयरन ओर माइन की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए 7 सितम्बर बुधवार को भानुप्रतापपुर के जनपद पंचायत कार्यालय में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जन सुनवाई का आयोजन किया गया।

जन सुनवाई से पहले प्रशासन ने प्रभावित होने वाले ग्रामीणों को इसकी जानकारी नहीं दी। गोपनीय ढंग से जन सुनवाई को संपन्न कराने की कोशिश की गई। हालांकि इलाके के आदिवासियों को इस जन सुनवाई की भनक लग गई। जिसके बाद मौके पर पहुंचे आदिवासियों ने जमकर विरोध किया। बाद में प्रशासन को जन सुनवाई रद्द करनी पड़ी।

क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल जगदलपुर छ.ग. द्वारा लीज खनन हेतु रसुली आयरन ओर डिपाजिट माईन को लीज क्षेत्र 220 हेक्टेयर मे मेसर्स नवभारत फ्यूज कंपनी लिमिटेड रायपुर पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई 7 सिंतबर बुधवार को जनपद पंचायत सभागार भानुप्रतापपुर में आयोजित की गई, जिसका विरोध जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों के द्वारा किया गया।

गौरतलब हो कि उत्खनन क्षेत्र ग्राम रसूली भानुप्रतापपुर तहसील से लगभग 35 किलोमीटर दूर है उक्त वन क्षेत्र वनखण्ड पुराना 338 नया 615 एवं पुराना 339 एवं नया 616 कुल हेक्टयर 220 हेक्टयर में मेसर्स नवभारत फ्यूज कंपनी रायपुर के द्वारा लोक सुनवाई में ग्रामीणों की उपस्थिति नही के बराबर थी, महज ही 20 से 30 ग्रामीण उपसिथत रहे होंगे। दूरी होने एवं जानकारी के अभाव में ग्रामीण सभा में उपस्थिति नही दे पाये। वही जो कुछ ग्रामीणों आए वे भी लोक सुनवाई की कार्यवाही से अनिभिज्ञ थे, जिसके कारण नाराजगी जताते हुये लोक सुनवाई का विरोध जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों द्वारा किया गया।

ज्ञात हो कि लीज खनन क्षेत्र हेतु जिन क्षेत्रों का उल्लेख खनन कंपनी द्वारा किया गया उसकी सुनवाई पर्यावरण संरक्षण मण्डल जगदलपुर द्वारा आयोजित की गई जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि वह क्षेत्र वनोच्छादित है जहां बहुतायत मात्रा में वन्यप्राणी का विचरण करते हैं उत्खनन होने से उनके रहने एवं भोजन का विनाश होगा, जिसके कारण वन्यप्राणियों की क्षति होना तय है।

स्थानीय पर्यावरण प्रेमी राजेश रंगारी ने लोक सुनवाई में पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि उक्त वन क्षेत्र में वनों का घनत्व 0.6 से ज्यादा है अतः सर्वे की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तथा उक्त वन क्षेत्र जैव विविधताओं से संपन्न है खनन हेतु स्वीकृति मिलने पर जैव विविधताओं की अपार क्षति होगी। वहीं कंपनी द्वारा कहां-कहां कार्य किया गया जिसकी जानकारी ग्रामीणों को नहीं दी गई जबकि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशानिर्देश 2014 के अनुसार ग्रामीणों को जानकारी देना आवश्यक है।

देश के विभिन्न क्षेत्रों में आयरन ओर का उत्खनन कार्य बहुतायत जगहों पर किया जा रहा है चुंकि जिन क्षेत्रों को पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की गई जहां पेड़-पौधों छोटी झाड़ियों एवं वन्य जीव प्राणियों के रहवासी को प्रभावित करेगा अतः उक्त कंपनी को उत्खनन हेतु दिया जाना उचित नहीं होगा। वहीं 70 वर्षिय धनसिंह टोप्पा ने कहा कि उक्त क्षेत्र में तीन चार पीढ़ीयों से आस पास के ग्रामीण

वनों एवं वहां से निकलने वाले वनोपज से जिविकोपार्जन कर रहे हैं अतः उत्खनन हेतु कंपनी को नहीं दिया जाना चाहिए। जपनपद पंचायत दुगूकोंदल के सभापति कृषि समिति सोप सिंह आचला क्षेत्र क्रमांक 1 द्वारा आपत्ती दर्ज कराते हुए स्पष्ट रूप से कहा गया कि जिस क्षेत्र पर उत्खनन हेतु सुनवाई की जा रही है जिसकी जानकारी ग्रामीणों के साथ-साथ क्षेत्र प्रतिनिधि होने के नाते मुझे भी नहीं दी गई।

आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक देवलाल नरेटी ने कहा कि कंपनी उत्खनन से पहले ग्रामीणों को कई लोक लुभावने सुविधाएं देने की बात करते हैं पर उत्खनन कार्य शुरू होने के बाद सारे वायदे भुल जाते हैं अब तक क्षेत्र मे कई कंपनीयों द्वारा उत्खनन किया जा रहा है पर ग्रामीण आज भी मूलभूत समस्याओं से जुझ रहे हैं। जगन्नाथ साहु ने भी विरोध जताते हुए कहा कि जिस क्षेत्र में उत्खनन किया जाना है उस क्षेत्र पर सुनवाई किया जाना चाहिए अतः इस सुनवाई का मैं विरोध करता हुं। लोक सुनवाई जिले के उप जिला दण्डाधिकारी, क्षेत्रिय अधिकारी पर्यावरण वन संरक्षण मंडल जगदलपुर की उपस्थिती में हुई इस दौरान पुलिस थाना भानुप्रतापपुर के नगर निरिक्षक एवं उप निरिक्षक जवानो सहित तैनात थे।

किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर करती छत्तीसगढ़ सरकार की सहायता !

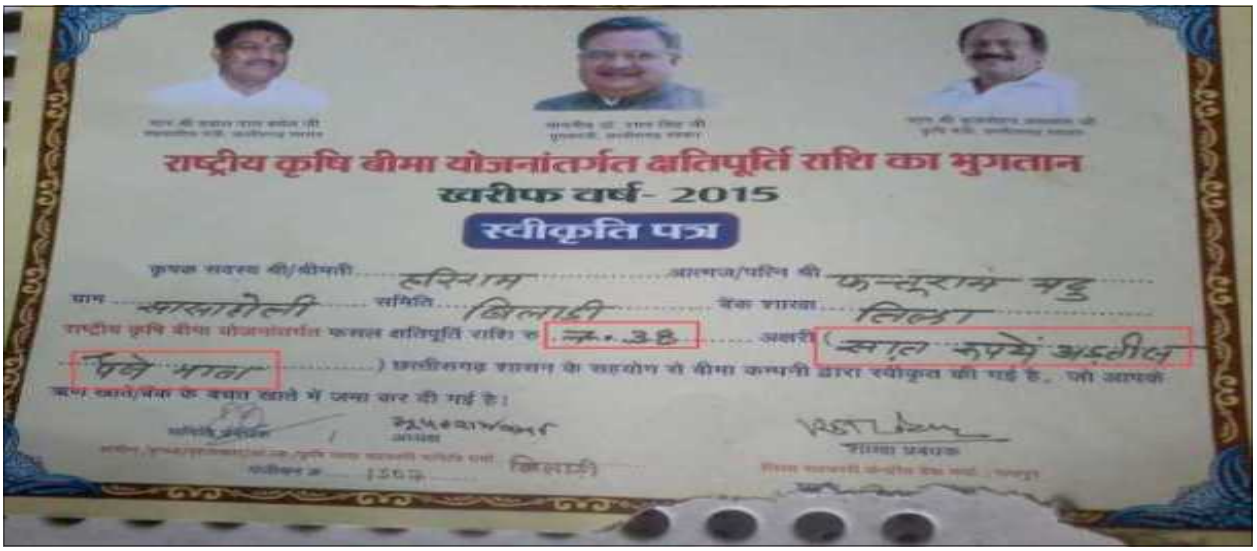

' पत्रिका' 9 सितम्बर 2016 की एक ख़बर के मुताबिक छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार किसानों का फसल बीमा के नाम पर भद्दा मजाक कर रही है. इसका खुलासा पत्रिका के हाथ लगे एक स्वीकृति पत्र से हुआ है. जिस स्वीकृति पत्र को छपवाने पर सरकार ने 20 रुपये से ज्यादा का खर्चा किया हो उसी स्वीकृति पत्र पर किसानों को फसल बीमा के नाम पर 1 रुपए से 7 रुपए दिए जा रहे है.

इस संबंध में पत्रिका रिपोर्टर ने सहकारी बैंक मुख्यालय में जाकर जानकारी जुटाई तो पता चला की 7 रूपए ही नहीं किसानों को खरीब की फसल 2015 के बीमा राशि के रूप में 1 रूपए तक की क्षतिपूर्ति की गई है। सरकार की इस करतूत से यह स्पष्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है कि सरकार मुआवजा दे रही है या प्रताडना। एक तरफ सरकार किसानों की सूखा व प्रकृतिक आपदा में मदद करने का दावा करती है दूसरी तरफ क्षतिपूर्ती में मिली राशि अधिकारियों और पटवारियों की लापरवाही उजागर कर रही है।

3 साल की फसल के आधार पर राशि का अनुमान

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनांतगर्त क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किसानों को सहकारी मर्यादित बैंक द्वारा किया जाता है। बीते साल क्षति का निर्धारण पटवारियों द्वारा किया जाता था। जिसमें बीते 3 साल का उत्पादन व वर्तमान सत्र के उत्पादन के आधार पर क्षति का निर्धारण करते थे। हलांकि अब यह प्रक्रिया बदल दी गई है। अब निर्धारण पंचायत स्तर पर होता है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने जबरन कलगांव के आदिवासियों पर बीएसपी टाउनशिप थोपी; विरोध में स्थानीय आदिवासियों ने दिया तहसीलदार को ज्ञापन

छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य बस्तर के कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लाक के कलगांव में राज्य सरकार भिलाई इस्पात संयत्र (बीएसपी) की टाउनशिप निर्माण के लिए आदिवासियों की 17.750 हेक्टेयर जमीन जबरन हड़पने जा रही है। स्थानीय आदिवासी इस जमीन पर खेती कर रहे है। कलगांव के आदिवासियों ने 22 अगस्त 2016 को अंतागढ़ तहसीलदार को भूमि अधिग्रहण पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि यह पांचवी अनुसूची क्षेत्र है, कोई भी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए ग्राम सभा से सहमति आवश्क है। छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों की जमीनों को फ़ोर्स, बंदूक, फर्जी केस, जेल के नाम से डरा कर कब्ज़ा कर रही है। पेश है बस्तर से तामेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट;

कांकेर जिले में अंतागढ़ ब्लाक के ग्राम कलगांव में 40 वर्षो से खेती-किसानी कर रहे ग्रामवासियों से प्रशासन बीएसपी टाउनशिप निर्माण के लिए वन अधिकार अधिनियम,2006 का उल्लंघन कर जमीन अधिग्रहण करने में लगी है।

जानकारी के अनुसार बिना ग्राम सभा के प्रस्ताव के प्रशासन कलगांव ग्रामवासियों की जमीन बीएसपी को सौप देना चाह रही है, ग्रामीण टाउनशिप के लिए अपनी जमींन देना नही चाह रहे है। प्रशासन उनका मालिकाना हक छीन रही है , कभी बन्दूक की नोक पर जमीन हथियाने की कोशिश तो कभी राजनीतिकरण के पैंतरे अपनाते हुए जबरन जमीन अधिग्रहण को आतुर कांकेर जिला प्रशासन के नुमाइंदे, ग्राम सभा के अनुमति के बिना किसानों की जमीन हड़प लेना चाह रही है| प्रशासन द्वारा पेशा कानून,1996 का भी घोर उल्लंघन कर ग्राम सभा के प्रस्ताव के बिना जमीन अधिग्रहण में लगी है।

22-08-2016 दिन मंगलवार को कलगांव के ग्रामीणों ने अंतागढ़ तहसीलदार को आवेदन के माध्यम से जमीन अधिग्रहण को लेकर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि यह पांचवी अनुसूची क्षेत्र है, कोई भी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए ग्राम सभा से सहमति आवश्क है, बीएसपी के टाउनशिप के लिए प्रशासन जो जमीन अधिग्रहण कर रही है उस परियोजना से हम असहमत है,ग्राम सभा कलगांव अपने गाँव के पारम्परिक सीमा के अंदर की सारी जमीन एवं निस्तार की सारे साधन का मालिकाना अधिकार के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सामुदायिक वन अधिकार की प्रक्रिया चल रही है, परियोजना के लिए जो जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है वन अधिकार अधिनियम 2006 का उल्लंघन किया जा रहा है, ग्राम वासियों ने टाउनशिप का विरोध करते हुए 6 अक्तूबर 2015 को जनदर्शन कांकेर में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन जनदर्शन में शिकायत का अभी तक निराकरण नही हुआ, ग्राम वासियों ने कहा कि बीएसपी के परियोजना के लिए अधिग्रहण होने वाले 17.750 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण पर रोक लगाया जाए और उन्हें उनका मालिकाना हक दिया जाए|

भिलाई इस्पात संयत्र द्वारा अंतागढ़ में टाउनशिप निर्माण को लेकर कलगांव वासी जमीन अधिग्रहण को लेकर विरोध दर्ज कर रहे है, ग्रामीणों के अनुसार 17.750 हेक्टेयर जमीन बीएसपी टाउनशिप के लिए अधिग्रहित किया जा रहा है, आदिवासी ग्रामीण 40 वर्षों से उक्त भूमि पर खेती - किसानी कर आनाज पैदा कर अपना जीवन -यापन चला रहे है । ग्रामीणों ने बताया कि उक्त भूमि को ग्राम सभा ने राजस्व पट्टा के लिये 21/08/2012 को सर्व सहमति से प्रस्तावित कर दिया है । वही वन अधिकार कानून 2006 की धारा 5 के अन्तगर्त ग्राम सभा ने सामुदायिक वन अधिकार एव व्यक्तिगत वन अधिकार दावा प्रक्रिया शुरू करने हेतु प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। ग्रामीणों के अनुसार टाऊनशिप के लिये जैसे ही उन्हें जमीन के अधिग्रहण की खबर मिली तो ग्रामीणों ने असहमति, आपत्ति दर्ज कराते हुये लिखित में तहसीलदार को कई ज्ञापन भी सौपे थे।

ग्रामीणों ने कहा कि बीएसपी के टाउन शिप के लिए अंतागढ़ में जामिन अधिग्रहण के बाजाय कलगांव में आदिवासियों की

जामिन को जबरन अधिग्रहित करने का प्रयास किया जा रहा है। टाउनशिप से सिर्फ उद्योगपति सेठों और राजनेताओं को लाभ है, जिसके किए कलगांव में खेती-किसानी कर रहे किसानों की जमीन को मोहरा बनाया जा रहा है। खबर है कि स्थानीय कांग्रेस नेत्री कांति नाग कलगांव में जमीन अधिग्रहण को लेकर डटी हुई है, ग्रामीणों का कहना है कि श्रीमती नाग को अंतागढ़ में अपनी जमीन पर टाउनशिप निर्माण करना चाहिए न की खेती-किसानी कर रहे कलगांव के किसानों के जमीनों को जबरिया अधिग्रहण में हिस्सेदारी निभाना चाहिए ।

खबर है कि प्रशासन अब ग्राम वासियों के विरोध को देखते हुए सारे नियम -कायदे ताक में रख कर बिना किसी सूचना के ग्राम सभा कराने जा रही है, जिसमें मुठ्ठी भर उद्योगजगत के सेठ मौजूद रहेंगे ।

ज्ञात हो की आदिवासी बाहुल्य बस्तर में उद्योगपतियों को जमीन देने के लिये शासन -प्रशासन अधिग्रहण के तहत ग्राम सभा में फर्जी तरीके से प्रस्ताव पारित करा लिया जाता है। कई मामले ऐसे भी है जिसमे अधिग्रहण की जानकारी ग्रामीणों को भी नही होती है, और न ग्राम सभा होता है और अगर होता भी है तो इसी तरह प्रशासन द्वारा ग्रामीणों के मन में फ़ोर्स, जमीन नही देने पर जेल होना बता कर प्रस्ताव पारित करा लिया जाता है । बस्तर में जमीन अधिग्रहण के कई मामले ऐसे भी है जिसमे जो ग्रामीण विरोध करता है उन्हें फर्जी नक्सल मामलो में लिप्त कर दिया जाता है।

बस्तर में टाटा ने 11 साल लगाए टाटा बोलने में : स्टील प्लांट बंद परंतु हजारों आदिवासियों को बेघर कर गया टाटा

छत्तीसगढ़ के बस्तर में टाटा ने अपने 11 साल पुराने स्टील प्लांट को बंद करने की घोषणा कर कार्यालय पर ताला बंद कर दिया है। टाटा ने 2005 से बस्तर जिले के लोहण्डीगुड़ा क्षेत्र में संयंत्र हेतु आदिवासियों की 2500 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा किया हुआ था। लोहाणीगुडा और आसपास के दस गाँव को उजाड़ा ,घरबार, स्कूल, अस्पताल खत्म कर दिये गये. टाटा के साथ जिस दिन अनुबंध हुआ उसी दिन सलवाजुडूम की भी शुरुआत हुई. छत्तीसगढ़ से डॉ लाखन सिंह की रिपोर्ट;

बस्तर में टाटा के सभी अधिकारी कर्मचारी को कंपनी ने पहले ही वापस बुला लिया था। अब संभाग मुख्यालय जगदलपुर स्थित टाटा स्टील के दफ्तर में भी कंपनी ने ताला लगा दिया है। दफ्तर की चाबी कलेक्टर को सौंपकर कंपनी ने यहां से रवानगी की तैयारी कर ली है। टाटा स्टील से जुड़े आनंद सिन्हा ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि कंपनी ने बस्तर में टाटा स्टील प्लांट प्रोजेक्ट को बंद कर दिया है।

जो टाटा के सामान समेटने पर स्यापा कर रहे हैं और विकास की दुहाई दे रहे है उन्हें एनएमडीसी के आसपास के गाँव और दही सा बन गये लालपानी को देख लेना चाहिए उनकी सारी विकास की अवधारणा की हवा निकल जायेगी.

आदिवासियों की 2500 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा किया .लोहाणीगुडा और आसपास के दस गाँव को उजाड़ा गया ,घरबार स्कूल अस्पताल खतम कर दिये गये.और हां यही टाटा है इसके साथ जिस दिन अनुबंध हुआ उसी दिन से सलवाजुडूम की शुरुआत हुई ,यह माना जाता है कि सलवाजुडूम के लिये टाटा ने ही महेंद्र कर्मा और योजना को वित्तीय यहायता पहुचाने का काम किया.

बृह्मदेव शर्मा ने सबसे पहले टाटा के खतरे से सबको आगाह किया और उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा. जगदलपुर की सडकों पर व्यापारियों भाजपाई और हां कांग्रेसियों ने उनको अपमानित करते हुये प्रोसेशन निकाला ,यह अपमान टाटा को बहुत मंहगा पडने वाला था.

इसके बाद प्रतिरोध फूट पडा ,आदिवासी महासभा और मनीष कुंजाम ने लंबी लडाई लड़ी ,आदिवासी संगठन भी सड़क पर उतरे और एक बडा जन आंदोलन खड़ा हो गया। लोगों ने ग्राम सभा और जनसुनवाई का बहिष्कार किया ,अपनी जमीन से कब्ज़ा छोडने से इंकार कर दिया.

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल सरकार ने ग्राम सभाओं को कहा उपद्रवी, भूमि अधिग्रहण पर राय मानने से किया इंकार

हिमाचल सरकार ने ग्राम सभा के लोगों को अकुशल, उपद्रवी मानते हुए वन भूमि अधिग्रहण पर उनकी राय मानने से इंकार कर दिया है। इस मुद्दे पर 7 सितम्बर 2016 को हिमालय निति अभियान ने विज्ञप्ति जारी कर सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए प्रदेश में आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है;

वन अधिकार कानून को हिमाचल प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायलय में याचिका न0 8345 जो कि हिमाचल प्रदेश बिजली कॉर्पोरेशन लि0 व पर्यावरण संघर्ष समिति लिप्पा के बीच है और जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में वन अधिकार कानून का हवाला देते हुये आदेश दिया था कि सबसे पहले ग्राम सभा का आयोजन करके लोगों की राय मागीं जाये और यदि ग्राम सभा परियोजना के लिये वन भूमि देना चाहती है तो वन अधिकार कानून के तहत कार्यवाही को अमल में लाया जाये। हिमाचल सरकार ने लोगों के हितों व वन अधिकारों को दरकिनार करते हुये माननीय सर्वोच्च न्यायलय में जाना उचित समझा और हिमाचल प्रदेश बिजली कॉर्पोरेशन लि0 जिसका अध्यक्ष मुख्य सचिव हि0 प्र0 है ने सरकार द्वारा डाली गयी याचिका में साफ तौर पर कहा है कि ग्राम सभा के लोग अकुशल़ हैं और उपद्रवी हैं इसलिये परियोजना के लिये भूमी के बारे मे ग्राम सभा की राय उचित नहीं हो सकती है जो कि सीधे सीधे वन अधिकार कानून की मूल भावना जिसमें आदिवासियों व अन्य परम्परागत वन निवासियों को वनों व वन संसाधनो पर अधिकार को मान्यता देना व इनके अधिकारों की रक्षा करना है का उल्लघंन है।

इससे पहले भी प्रदेश उच्च न्यायालय में वन भूमि पर लोगों द्वारा जीविका के लिये किये गये दखल के मामले में सरकार ने अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा जिसका खामियाजा प्रदेश के भोले भाले लोगों को भुगतना पड़ा और अवैध कब्जों के नाम पर सेब के लगभग 20,000 पौधों को विभाग द्वारा काटा गया जिसे आर्थिक नुकसान प्रदेश के भोले भाले लोगों को उठाना पड़ा। पेड़ों के काटे जाने से पर्यावरणीय नुकसान कितना हुआ है व तो वैज्ञानिक अध्यन करने से ही पता चलेगा। सैंकड़ों घरों के बिजली व पानी के कनेक्शन काटे गये और लोगों को एक तरफ जहाँ आर्थिक नुकसान हुआ वहीं मूलभूत सुविधायों से भी महरूम होना पड़ा है।

2008 में भाजपा की सरकार जिसके मुख्यमंत्री प्रो0 प्रेम कुमार धूमल थे ने केन्द्र सरकार को लिखा था कि वन अधिकार कानून को हि0 प्र0 में लागू करने की आवश्यकता नहीं है और इसमें वनों के उपयोग पर सरकार द्वारा दी जा रही छूटों का हवाला दिया गया था। तत्पश्चात जनजातीय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसके संदर्भ में विस्तार से निर्देश दिये गये थे और साफ कहा गया कि वन उपयोग में छूट देने से वन पर लोगों के अधिकारों को स्थापित नहीं किया जा सकता है अतः वन अधिकार कानून जो कि लोगों के वन उपयोग के अधिकारों को मान्यता देता है के अर्न्तगत दोबारा से अधिकारो को दर्ज करना पड़ेगा। लेकिन भाजपा सरकार ने भी इस कानून को लागू ना करते हुये प्रदेश के लोगों के साथ खिलवाड़ किया। जो कि भाजपा के जनजातीय व अन्य परम्परागत लोगों के अधिकारों के प्रति कितनी संवेदनशील है उनके नजरिये को दर्शाता है।

इस विषय में वन विभाग द्वारा भी आदिवासी व अन्य वन निवासियों के वनो के उपयोग व वन अधिकारों की मान्यता पर कई तरह का दुष्प्रचार करके भ्रमित करने का प्रयास किया गया है तथा लगातार ऐसा प्रचार किया जा रहा है। राज्य निगरानी समिति जो कि वन अधिकार कानून को सही तरीके से लागू करने के लिये बनाई गई है व भी अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाती नजर नहीं आती है। जो कि साफ तौर पर बताता है कि जनजातीय व अन्य परम्परागत लोगों के अधिकारों को लेकर राज्य सरकार और उसका तन्त्र कितना

गम्भीर है।

सरकार का माननीय उच्च न्यायालय में एक बिजली की परियोजना को बचाने के लिये जनजातीय लोगों के बारे में अभद्र टिप्पणी करना, आदिवासियों को सरकारी वकील द्वारा माननीय सर्बोच्च न्यायालय में उपद्रवी कहना जनजातीय लोगों की तौहीन है। साथ ही वन अधिकार कानून को सिरे से खरिज करना व इसके साथ ही जनजातीय क्षेत्रों के विशेष कानून पेसा को दरकिनार करते हुये कानूनी मान्यता प्राप्त प्रावधानों का उल्लघंन करना सरकार को शक के दायरे में लाता है। इसी सरकार द्वारा एक अन्य केस में यह कहना है कि सरकार वन अधिकार कानून को प्रदेश में लागू कर रही है का हलफनामा देना शक को और बढ़ाता है कि कैसे एक सरकार दो अलग अलग न्यायलयों में एक ही कानून के बारे में दो विपरीत टिप्पणीयां दे रहा है।

एक तरफ जहां राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी भरतीय जनता पार्टी को वन अधिकार कानून को लागू नहीं करने व आदिवासियों व अन्य परम्परागत वन निवासियों के अधिकारों को सुनिश्चित ना करने के लिये दोषी ठहरा रही है व इन्ही सब मुद्वों को लेकर कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी देश भर में घूम रहे हैं वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जनजातीय व अन्य परम्परागत वन निवासियों के अधिकारों को सिरे से नकार रही है इसे बिडम्वना ही कहा जा सकता है।

हिमालय नीति अभियान सरकार से आग्रह करती है कि सर्वोच्च न्यायालय से जनजातीय व अन्य परम्रपरागत वन निवासियों के वन अधिकारों की रक्षा के लिये अपनी अपील वापिस ले और सरकारी वकील द्वारा जनजातीय लोंगों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय में की गई अभद्र दिप्पणी के बारे में माफी मांगे।

हिमाचल प्रदेश : टाटा के रोप वे के लिए मनाली में हजारों पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने की तैयारी

हिमाचल प्रदेश के मनाली से रोहतांग तक प्रस्तावित पे रोप वे की है। हजारों देवदार पेड़ों पर मार्किंग कर उन्हें काट कर पे-रोप वे बनाया जायेगा है। टाटा की निजी कम्पनी ने पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति लिए बगैर ही हजारों पेड़ों को मार्क कर दिया है। टाटा कंपनी-स्की हिमालय के साथ मनाली रोप-वे प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इसका निर्माण करेगी। नौ किलोमीटर लंबे रोप-वे से भले ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचेगा यह साफ होना बाकी है। सेव मनाली के बैनर तले लोग एकत्रित हो कर पर्यावरण का विनाश करने वाली इस योजना का विरोध शुरू कर दिया है ।

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करने वाले बेशकीमती पेड़ पौधों को काटे जाने की योजना बनाई जा रही है जो कि आने वाले समय में देवभूमि के लोगों के लिए विनाशकारी साबित होगा। पर्यटन के नाम पर रोप वे बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अगर इतने ज्यादा पेड़ काटने की अनुमति दी गई तो इसका पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हिमालयन पर्यावरण संरक्षण संगठन के अध्यक्ष ने कहा है कि इस कार्य के लिए पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति लिए बगैर ही पेड़ों को मार्क किया गया है । उन्होंने कहा कि संस्था रोप वे लगाने के लिए भारी मात्रा में प्रकृति का विनाश नहीं होने देगी। बता दें कि रोप-वे बनाने वाली कंपनी मनाली रोप-वे प्राइवेट लिमिटेड कोठी से लेकर रोहतांग तक तीन चरण में रोप-वे को तैयार करेगी, लेकिन यहां प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही पर्यावरण प्रेमियों ने विरोध के स्वर तेज कर दिए हैं। यही नहीं, उच्च न्यायालय तक पर्यावरण को लेकर हल्फाना दाखिल करने की योजना भी बन रही है। डीफओ कुल्लू नीरज चड्ढा का कहना है कि सरकार ने रोहतांग तक रोप वे बनाने का निर्णय लिया है विभाग का प्रयास है कि कम से कम पेड़ कटे । इन दिनों प्रथम चरण में पेड़ों की मार्किंग करने का सर्वे चला है इसके बाद दो और सर्वे किए जाएंगे जिनके पूरा होने के बाद इसकी फाइल बनाकर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी जहां से स्वीकृति मिलने के बाद ही पेड़ काटे जाएंगे । सेव मनाली संस्थान इस योजना का कड़ा विरोध रही है। सेव मनाली संस्थान का आरोप है जो एनजीटी प्रदूषण और पर्यावरण की आड़ में मनाली की टैक्सी बंद कर के मनाली के पर्यटन को बर्बाद कर दिया। आज जब पर्यावरण को बर्बाद करने के लिए हज़ारों देवदार पेड़ो की बलि दी जा रही तो एनजीटी चुप क्यों है ?

उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड : प्रिकॉल की महिला मजदूरों समेत अनशनकारियों के बर्बर दमन के विरोध में ट्रेड यूनियन और जनसंगठन एकजुट

6 सितम्बर 2016 को उत्तराखण्ड के रुद्रपुर में महीने भर से निकाले गये मजदूरों की कार्यबहाली, न्यूनतम वेतन बढ़ाने की माँग, श्रम कानूनों का पालन कराने व आंदोलनरत भूख हड़ताल में बैठे मजदूरों पर पुलिसिया दमन के विरोध में ट्रेड यूनियनों का महा सम्मेलन का आयोजन किया गया। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अनीता लोहानी भी कल लड़कियों पर हुई हिंसा पर संज्ञान लेते हुए सम्मेलन में पहुंची और जाँच का आश्वाशन दिया है। प्रिकॉल के मजदूरों के संघर्ष को विभिन्न मजदूर संगठन समर्थन देने पहुंचे। सम्मेलन के अंत में प्रशासन को चेतावनी देने के लिए जुलुस निकाला गया। फ़िलहाल बढ़ते जनदबाव में सभी मजदूरों की बिना शर्त रिहाई हो गयी है , हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में भर्ती 5 महिला मजदूरों की भूख हड़ताल और रुद्रपुर में किया जा रहा अनशन आज छठे दिन भी जारी रहा। हम यहाँ पर प्रिकोल मजदूर संगठन का पर्चा साझा कर रहे है;

प्रिकॉल कम्पनी प्रबन्धन के गैर कानूनी कृत्यों एव उत्तराखण्ड सरकार/ जिला प्रशासन के अन्यायपूर्ण रूख से पीड़ित हम 150 से अधिक मजदूर आन्दोलनरत है । प्रिकॉल कम्पनी में लगभग 10 वर्षो से कार्यरत हम मजदूरों की कम्पनी प्रबन्धन द्वारा दिनांक 06.08.2016 से गैरकानूनी गेट बदी कर रखी है।

प्रिकॉल कम्पनी में गैरकानूनी कृत्यों की इस कदर बोलवाला है कि टाटा मोटर्स, टी.वी.एस. बजाज. अशोक लिलैण्ड, महिन्दा एवं हीरो मोटोकॉर्प जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियो को ऑटो पार्टस सप्लाई करनें वाली इस कम्पनी में महज 13 मजदूर ही स्थाई है। इस कंपनी में 100-100 मशीनों और 36 -36 लाईनें 2 शिप्टों में चलती है। कानूनी रूप से इस कम्पनी में कम से कम 300 मजदूर स्थाई होने चाहिये। परन्तु ऐसा नही है। प्रिकॉल कम्पनी के सम्बन्ध में सहायक श्रमायुक्त द्वारा अपनी निरीक्षण टिप्पणियों में साफ-साफ लिखा है कि कम्पनी में श्रम कानूनों को ताक पर रखकर गैरकानूनी कृत्य किये जा रहे हैं। ठेकेदारों को लोडिग - अनलोडिग के लिए ही लाईसेंस जारी किये गये है परन्तु ठेकेदार अपने लाईसेन्सों का दुरुपयोग करके ठेका मजदूरो से गेरकानूनी रूप् से खतरनाक मशीनों एंव प्रोडक्शन लाइनों पर कार्य करवा रहे है। सहायक श्रमायुक्त द्वारा ठेकेदारों के उपर मुकदमें भी किये गये है और सरकार से ठेकेदारों के लाइसन्सों का पजीकरण रदद करने की अपील की गई है। इनमें से एक ठेकेदार कांग्रेस पार्टी का प्रदेश सचिव भी है। वर्तमान समय में भी जिला प्रशासन एवं उत्तराखण्ड सरकार की मिलीभगत से प्रिकॉल कम्पनी में ठेका मजदूरों से मशीने चलवाने का गैरकानूनी कृत्य किया जा रहा है। जब हम मजदूर 10 साल पहले प्रिकॉल कंपनी में भर्ती हुए थे तो तब हमारी उम्र 20-25 साल की थी परन्तु आज हमरी उम्र 30-35 की हो चुकी है। कंपनी प्रबंधन हमें नौकरी से निकाल कर हमारा भविष्य अन्धकारमय कर रहा है। हमें हमारी जवानी के 10 सालों का हिसाब कौन देगा? हमें हमारी जवानी के ये 10 साल कौन लौटायेगा?

जिला प्रशासन -उत्तराखण्ड सरकार एवं प्रिकॉल प्रबन्धन के अत्याचार से पीड़ित उत्तराखण्ड की बेटियां आमरण अनशन को मजबूर सहायक श्रमायुक्त की निरीक्षण टिप्पणियों के बावजूद जिला एंव उत्तराखण्ड सरकार घृतराष्ट्र की भाति तमाशिन बनी हुई है। प्रिकॉल प्रबन्धन बेखौफ होकर गैरकानूनी कृत्य जारी रखे हुए है। हमें कही से भी न्याय नही मिल रहा है। प्रिकॉल कम्पनी में चल रही उपरोक्त गैरकानूनी कृत्यों पर रोक क्यों नही लगाई जा रही है?

जिला प्रशासन प्रिकॉल प्रबन्धन के उपरोक्त गैरकानूनी कृत्यों पर रोक लगाने के स्थान पर धारा-144 लगाकर हम मजदूरों की न्यायपूर्ण आवाज का गला घोट रहे है। कलेक्टे°ट परिसर में निर्धारित धरनास्थल पर भी हम मजदूर को धरना देने से वंचित कर दिया गया है। डेल्टा, मिण्डा, महिन्द्र आदि कम्पनियों के मजदूरों की भी यही व्यथा है।

जून 2013 की श्रीनगर आपदा के लिए जी.वी.के. कंपनी जिम्मेदार एनजीटी ने लगाया नौ करोड़ का जुर्माना

उत्तराखण्ड में जून 2013 की त्रासदी के लिये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने जी.वी.के. कंपनी जिसने श्रीनगर बांध का निर्माण किया था को जिम्मेदार माना है । एनजीटी ने 19 अगस्त 2016 को अपना ऐतिहासिक फैसला देते हुए जी.वी.के. कंपनी पर जून 2013 आपदा में श्रीनगर में हुई तबाही के लिये 9,26,42,795 करोड़ का जुर्माना लगाया है । पेश इस संघर्ष की अगुवाई कर रहे श्रीनगर बाँध आपदा संघर्ष समिति व माटू जनसंगठन की विज्ञप्ति;

उत्तराखंड में जी.वी.के. कंपनी के अलकनंदा नदी पर बने श्रीगर बांध के कारण तबाह हुयी संपत्ति के मुआवजे के लिये 'श्रीनगर बाँध आपदा संघर्ष समिति' और 'माटू जनसंगठन' ने अगस्त 2013 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में एक याचिका दायर की थी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने लगभग 18 बार सुनवाई के बाद 19 अगस्त 2016 को उत्तराखंड के लिये ऐतिहासिक फैसला दिया। अपने इस फैसले में माननीय न्यायाधीश यू. डी. साल्वी व माननीय विशेषज्ञ सदस्य ए. आर. यूसुफ ने जी0वी0के0 कंपनी को जून 2013 आपदा में श्रीनगर में तबाही के लिये जिम्मेदार ठहराते हुये प्रभावितों को 9,26,42,795 करोड़ रुपये का मुआवजा देने व प्रत्येक वादी को एक लाख रुपये देने का आदेश दिया है।

ज्ञातव्य है कि जी.वी.के. कंपनी के बांध के कारण श्रीनगर शहर के शक्तिबिहार, लोअर भक्तियाना,चौहान मौहल्ला, गैस गोदाम, खाद्यान्न गोदाम,एस.एस.बी., आई.टी.आई., रेशम फार्म, रोडवेज बस अड्डा, नर्सरी रोड, अलकेश्वर मंदिर, ग्राम सभा उफल्डा के फतेहपुर रेती,श्रीयंत्र टापू रिसोर्ट आदि स्थानों की सरकारी/अर्द्धसरकारी/व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक सम्पत्तियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी।

'श्रीनगर बाँध आपदा संघर्ष समिति' और 'माटू जनसंगठन' राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के इस जनपक्षीय आदेश का स्वागत करते है। इस आदेश ने सिद्ध किया है कि जून 2013 की त्रासदी में बांधों की बड़ी भूमिका थी। माटू जनसंगठन ने जून 2013 की आपदा में बांधों की भूमिका का मुद्दा हर स्तर पर उठाया था। विधायकों, सांसदों हर बड़े राजनैतिक दलों को पत्र भेजा था, मिले थे। अफसोस कि सभी इस सवाल पर मौन ही रहे। अब इस आदेश के बाद सरकारें जागेंगी और नदी व लोगों के अधिकारों का हनन करने वाली बांध कंपनियों पर लगाम लगायेंगी। यह आदेश ना केवल उत्तराखंड वरन् देशभर में बांधों के संदर्भ में अपनी तरह का पहला आदेश है। देशभर के बांध प्रभावित क्षेत्रों के लिये यह नया रास्ता दे रहा है। कही भी बांधों के कारण होने वाले नुकसानों के लिये यह आदेश एक नजीर होगा।

प्राधिकरण का आदेश

प्रतिवादी संख्या 1- अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड इस आदेश की तिथि के 30 दिन की अवधि के अंदर सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991 की धारा 7 (ए) के तहत स्थापित पर्यावरण राहत कोष प्राधिकरण के माध्यम से श्रीनगर शहर में जून, 2013 के बाढ़ पीड़ितों को मुआवजे के तौर पर 9,26,42,795 करोड़ रुपये की राशि जमा करेगी।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (अभ्यास और प्रक्रिया) नियम, 2011 के नियम 12 के तहत, जमा किए जाने वाले मुआवजे की राशि से 1 प्रतिशत राशि कटौती करके कोर्ट फीस के तौर पर रजिस्ट्रार, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सौंप दिया जाएगा।

प्रतिवादी संख्या 3 - उत्तराखंड राज्य सरकार, व्यक्तियों के दावे के समर्थन में आवश्यक सबूत के साथ अनुलग्नक ए-5 में संलग्न सूची के अनुसार उनके दावों की सूची की निगरानी के लिए कोई वरिष्ठ उप संभागीय मजिस्ट्रेट को तैनात करने के लिए पौड़ी जिले के जिलाधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेगी। इसके लिए नियुक्त एसडीएम पेश किए जाने वाले सबूतों के आधार पर दावों को सत्यापित करेगा और दावे की प्रात्रता के आधार पर अनुलग्नक ए-5 की सूची के अनुसार देय कोर्ट फीस की राशि के तौर पर 1 प्रतिशत कटौती करके उस व्यक्ति को सौंपेगा। दावे आमंत्रित करने की घोषणा जिलाधिकारी कार्यालय, श्रीनगर नगरपालिका कार्यालय एवं

उत्तराखंड राज्य के वेबसाइट में एक नोटिस प्रकाशित करके की जाएगी। इस नोटिस के प्रकाशन के 90 दिनों के बाद जिलाधिकारी द्वारा नो-क्लेम (कोई दावा शेष नहीं) दायर किया जाएगा। इस तरह उपरोक्त राशि के वितरण के बाद शेष राशि बाढ़ द्वारा प्रभावित सार्वजनिक संपत्ति की बहाली के उपाय के तौर पर पर्यावरण राहत कोष में उपयोग किया जाएगा.

इस प्रकार 2014 के मूल आवेदन संख्या 3 का निपटारा हो गया है। प्राधिकरण ने अपने 42 पन्नों के आदेश में बहुत विस्तृत रुप से लिखा है कि जी.वी.के. कंपनी ने लगातार पर्यावरणीय शर्तों का उल्लंघन किया जिसके कारण बाढ़ में बांध की मक की तबाही का कारण बनी। विभिन्न रिर्पोटे बताती है कि जहाँ मक डाली जाती है वहाँ सुरक्षा दीवार व मक पर पेड़ लगाना, जाली लगाना किया जाना चाहिए। मगर बरसों से नदी किनारे मक रखी गई पर फिर भी उस पर पेड़ नही लगाए गये। प्राधिकरण ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बनी रवि चोपड़ा समिति की रिर्पोट को भी देखा जिसने मौके पर मुआयना किया था। प्राधिकरण ने बांध कंपनी की इन दलीलों को मानने से इंकार किया कि यह क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है, यह ईश्वरीय कारणों से हुआ।

मालूम हो की अभी तक राज्य सरकार ने बाढ़ क्षेत्र को परिभाषित नही किया है। उत्तराखंड सरकार के वकील ने अपना पक्ष रखते हुये पहले तो यह सिद्ध करने की कोशिश की कि यह मुक़दमा सुनने लायक ही नही क्यूंकी यह ईश्वरीय कारणों से हुआ है और इसमें जी.वी.के. कंपनी का कोई दोष नही है। किन्तु प्राधिकरण ने अपने आदेश के पैरा 19 में कहा है कि राज्य सरकार वादियों के, जी.वी.के. कंपनी को दोषी ठहराने के, कियी तर्क का खंडन नही कर पायी है।

हमारी मांगे

उत्तराखंड सरकार प्राधिकरण के आदेशानुसार तुरंत पौड़ी के जिलाधिकारी को आवश्यक निर्देश दे। इस तथ्य पर ध्यान दिया जाये कि मुआवजा वितरण की प्रक्रिया बिना भ्रष्टाचार के पूरी हो।

जब यह सिद्ध हो गया है कि श्रीनगर के एक हिस्से में बाढ़ के लिये जी.वी.के. कंपनी जिम्मेदार है। तो शासन-प्रशासन को तुरंत जी.वी.के. कंपनी पर आपराधिक कार्यवाही की प्रक्रिया शुरु करनी चाहिये। उसे जानबूझ कर की गई लापरवाहियों के लिये दण्डित किया जाये। ताकि भविष्य के लिये वे सावधान रहे।

न्यायपालिका ने अपना कार्य पूरा किया है अब शासन-प्रशासन को अपनी भूमिका अदा करते हुये न्याय को लोगो

भूषण इंडस्ट्रीज़ के एमडी समेत छह अफ़सरों को तीन साल की जेल

चंडीगढ़, 3 सितंबर: सीबीआई की एक अदालत ने भूषण इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन (बीआइसी) के प्रबंध निदेशक बृज भूषण सिंघल समेत केंद्र शासित प्रदेश के बिजली विभाग और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के छह पूर्व अफ़सरों को तीन साल की कैद की सज़ा सुनाई है। बिजली चोरी के इस 23 साल पुराने मामले में प्रत्येक पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस चोरी से केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) को 3.06 करोड़ रुपये का चूना लगा था।

अदालत द्वारा जिन छह अन्य लोगों को सज़ा सुनाई गई है, उनमें यूटी बिजली विभाग के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता वीके महेंद्रू, तत्कालीन वाणिज्यिक अभियन्ता दीपक चोपड़ा, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता तरसेम लाल अग्रवाल, तत्कालीन सहायक कार्यकारी अभियन्ता हरजिंदर सिंह बरार और बीबीएमबी के अफ़सर तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता मंगत पटेल व तत्कालीन सब-स्टेशन अभियन्ता जागीर सिंह शामिल हैं।

सीबीआइ ने 14 दिसंबर, 1993 को भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के अंतर्गत भूषण इंडस्ट्रीज़ के एमडी और छह अफसरों को दोषी ठहराया था। इस मामले में सीबीआइ ने फरवरी 2001 में आरोपपत्र दायर किया था।

इसके बाद अदालत ने फरवरी 2006 में दोषियों पर आरोप तय किए। आरोप अप्रैल 1985 से जुलाई 1988 के बीच बिजली चोरी से जुड़े एक मामले से संबंधित था।

उड़ीसा

डोंगरिया कोंध आदिवासियों ने लगाई सीआरपीएफ कैम्प में आग : कहा

उड़ीसा के रायगढ़ जिले में नियामगिरी पर्वत तक सड़क बनाए जाने का विरोध कर रहे लगभग 100 डोंगरिया कोंध आदिवासियों ने 20 सितंबर 2016 को पैरा-मिलेट्री बल के एक अस्थाई कैम्प में आग लगा दी। ज्ञात रहे कि नियामगिरी सुरक्षा समिति के अध्यक्ष सिक्का लादो के नेतृत्व में डोंगरिया कोंध आदिवासी नियामगिरी पर्वत तक बन रही सड़क का विरोध कर रहे हैं। जिसके तहत उन्होंने 20 सितंबर को कल्याणसिंहपुर ब्लाक के पारसली में केंद्रीय सुरक्षा पुलिस बल (सीआरपीएफ के एक अस्थाई कैम्प में आग लगा दी।

सिक्का लादो का कहना है कि इस सड़क का निर्माण इसलिए किया जा रहा है ताकि नियामगिरी पर्वत वेदांता एल्मुनियिम लिमिटेड को खदान के लिए दिया जा सके। नियामगिरी सुरक्षा समिति के अध्यक्ष ने आगे कहा कि वह बिना हमारी राय के कैम्प कैसे बना सकते हैं? वह पहले अपनी मर्जी से कैम्प लगाएंगे फिर अपनी मर्जी से रोड बनाएंगे और बाद में आदिवासियों को प्रताड़ित करेंगे। यह हमारी सरकार नहीं है। यह कंपनियों की सरकार है। यहां पर कैम्प लगाया जाना एक बड़ी साजिश का हिस्सा है।

जाम्बिया से भारत तक वेंदाता कम्पनी के खिलाफ प्रदर्शन

5 अगस्त को 2016 को ब्रिटिश माइनिंग कंपनी वेदांता रिसोर्सेस की वार्षिक जनरल मीटिंग के विरोध में भारत जांबिया और लंदन के कुछ स्थानों पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए गए। भारत के उड़ीसा राज्य के दो जिलों झारसुगुड़ा और लांजिगढ़ (नियामगिरी) में लंबे समय से वहां की स्थानीय जनता वेंदाता कंपनी के वापस जाने की मांग कर रही है। झारसुगुढ़ा में चल रहे बॉक्साइट आपरेशन की वजह से वहां के आदिवासी संघर्षरत हैं। उनका कहना है कि इस ऑपरेशन की वजह से उनका पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तथा प्लांट के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण की वजह से वहां पर बड़ी संख्या में आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं।

वहीं दूसरी तरफ लांजीगढ़ (नियामगिरी) के आदिवासी जनसमुदाय के लोगों का कहना है कि उनके द्वारा किए जा रहे विरोध की वजह से पुलिस नक्सलवाद का नाम लेकर लगातार उनका दमन-उत्पीड़न कर रही है।

वेदांता कंपनी की वजह से हो रहे पर्यावर्ण विनाश तथा विस्थापन से आक्रोशित भारत तथा जांबिया के लाखों किसानों, दलित आदिवासियों ने 5 अगस्त को जगह-जगह पर बड़े-बड़े प्रदर्शन आयोजित किए। भारत की राजधानी दिल्ली में बिरसा-अम्बेडकर फुले छात्र संघ (बापसा) ने भी बड़े पैमाने पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनों की मुख्य मांग वेंदाता कंपनी को अपने-अपने देशों से हटाया जाना थी।

झारखण्ड

झारखण्ड : भाजपा सरकार अडाणी को 1700 एकड़ जमीन देने को तैयार, विरोध में स्थानीय आदिवासी एकजुट

झारखण्ड की भाजपा सरकार ने गोड्डा जिले के मोतिया गांव में अडाणी के पॉवर प्लांट के लिए 1700 एकड़ जमीन देने की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से दस-बारह गांवों के 30 हजार लोग पूर्णतः विस्थापित होंगे। प्लांट को चीर नदी से 10 करोड़ लीटर पानी हर रोज दिया जायेगा। स्थानीय आदिवासी अडाणी के पॉवर प्लांट के विरोध में एकजुट होते हुए नारा बुलंद कर रहे है 'नहीं चाहिए हमें अडाणी का यह पावर प्लांट'। पेश है मुकेश कुमार की रिपोर्ट;

झारखंड के गोड्डा जिले के अंतर्गत जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर मोतिया गांव के समीप बिजली उत्पादन के लिए एक पावर प्लांट प्रस्तावित है। यह प्लांट प्रधानमंत्री के चहेते उद्योगपति गौतम अडाणी की कंपनी का है। 1600 मेगावाट प्रतिदिन बिजली उत्पादन की क्षमता वाले इस प्लांट को राज्य की वर्तमान बीजेपी सरकार ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर मंजूरी दे दी है। प्लांट लगाये जाने वाले क्षेत्र की जनता से राय-मशवरा करना भी राज्य सरकार ने जरूरी नहीं समझा।

इस पावर प्लांट के लिए मोतिया गांव की 14 मौज़ा के किसानों की 1700 एकड़ बहुफ़सली खेती की जमीन को चिन्हित किया गया है। इस परियोजना से मोतिया, सोनडीहा, पटवा, पुरबेडीह, रमनिया, पेटनी, कदुआ टीकर, गंगटा, नयाबाद, बसंतपुर, देवन्धा, गुमा, परासी एवं देवीनगर सहित दर्जनों गांव के लगभग 30 हजार लोग पूर्णतः विस्थापित होंगे तथा लगभग 1.5 लाख लोग प्रभावित होंगे। इस परियोजना में जिनकी जमीन जायेगी, कुछ मुआवजे की कीमत पर पीढ़ी-दर-पीढ़ी की अपने बाप-दादा की जायदाद हमेशा के लिए खो देंगे। साथ ही इस जमीन में खेती करने वाले किसान मजदूर भारी तादाद में बेकारी के शिकार होंगे और पशुओं के चारा के लिए भी पशुपालकों को जूझना पड़ेगा।

उक्त परियोजना से होने वाली अनुमानित क्षति-

कार्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन – 48000 टन (प्रतिदिन)

छाई –राख़ (एश) का निष्काषण – 20500 टन (प्रतिदिन)

अन्य जहरीली- स्वास्थ्य के लिये हानिकारक गैसों का **उत्सर्जन** – 1100 टन (प्रतिदिन)

ऑक्सीजन का क्षरण – 51200 टन (प्रतिदिन) - एक **मेगावाट** बिजली उत्पादन पर 32 टन ऑक्सीज़न का क्षरण **होता है.**

जल का दोहन – 16 करोड़ लीटर (प्रतिदिन) 10 करोड़ लीटर 'चीर' नदी से और बाक़ी भूमिगत जल

उपजाऊ जमीन – 1700 एकड़

खाद्यान्न उत्पादन की क्षति – सालाना 25 हजार क्विंटल धान एवं 10 हजार क्विंटल - गेहूँ, दलहन, तिलहन आदि.

कोयला खपत- 20 हजार टन प्रतिदिन (जीतपुर कोलब्लॉक से)

तापमान वृद्धि- 2-30 C

इसके साथ ही कोई मुगालते में न रहे कि इससे स्थानीय लोगों को बिजली मिल जाएगी और उनका विकास हो जाएगा! परियोजना से उत्पादित बिजली बांग्लादेश को बेची जायेगी, जिसका लाभांश अडाणी की झोली में जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक इस परियोजना से सारे खर्चे काटकर लगभग 1682 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष मुनाफा होगा, जो अडाणी के खाते में जाएगा।

यानी हमारी हर एक एकड़ जमीन पर अडाणी एक करोड़ रुपये हर साल लूटेगा! परियोजना लगने वाले अन्य इलाकों की तरह यहाँ की जनता के हिस्से आयेगा राख़, प्रदूषण, खतरनाक बीमारी। पीढ़ी-दर-पीढ़ी की जनता की जमीन एक झटके में अडाणी के खाते में चला जाएगा, जहां वे अडाणी की इजाजत के बगैर घुस भी नहीं पाएंगे! जमीन के मुआवजे के तौर पर मिले कुछ रुपये और मुट्ठी भर लोगों को गार्ड-

दरबान की नौकरी के जूठन का लालच देकर हमारी बहुफ़सली-उपजाऊ जमीन सदा-सदा के लिए हड़प ली जायेगी।

यहाँ ज़्यादातर नौकरियां तो बाहर के उच्च तकनीकी विशेषज्ञों को ही मिलेगी, बाक़ी स्थानीय लोगों के हिस्से तो जूठन ही आयेगा। परियोजना के लिए होने वाले अंधाधुंध पानी के उपयोग से भूजल स्तर नीचे चला जाएगा, जिससे आस-पास का जनजीवन और खेती-किसानी बुरी तरह प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा।

अडाणी की जेबें भरेंगी और हम ग्रामवासी किसान-मजदूर परिणाम भुगतेंगे! देश के जिन क्षेत्रों में भी इस किस्म का भारी-भरकम पावर प्लांट लगा है, वहाँ की स्थानीय जनता आज खून के आँसू रो रही है और कंपनियां और उनके अफसर-ठेकेदारों की तिजोरी भरती जा रही है।

क्या उसे हम यहाँ भी दोहराने देंगे! क्या मुनाफे के हवसी इन भेड़ियों को हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुनहरा भविष्य देने के बजाय उसकी कब्र खोदने की छूट देंगे! नहीं, कतई नहीं! हम लड़ेंगे - अपनी धरती माता के लिए ; अपनी इस अचल उपजाऊ संपत्ति के लिए ; आने वाली पीढ़ियों के लिए! हमारे लिए जमीन पीढ़ी-दर-पीढ़ी के जीवन और जीविका की गारंटी है। सिंगूर-नंदीग्राम के किसानों की तरह हम लड़ेंगे और इन लूटेरों के पाँव अपनी जमीन पर नहीं पड़ने देंगे! हमारे पास लड़ने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है! आइये, इस षड्यंत्र का सब मिलकर पर्दाफाश करें!

झारखण्ड : जमीन के बदले रोजगार माँगा सरकार और कंपनी ने गोली से भून डाला

झारखण्ड के रामगढ़ जिले के गोला क्षेत्र में इनलैंड पावर लिमिटेड (आइपीएल) ने 2011 में बरियातू के रामलखन के परिवार से 4 एकड़ 30 डिसमिल खेती की जमीन 1500 रू के दर से अधिग्रहित कर ली। रामलखन के परिवार वालों को कम्पनी की तरफ से बताया कि आपको जमीन के बदले नैकरी, सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल दिया जाएगा। कंपनी शुरू हुए पांच साल हो गए । जमीन देने वालों में से एक को भी नौकरी नहीं मिली। सिर्फ बाहर के लोगों को ही नौकरी दिया गया ।

नागरिक चेतना मंच के बैनर तले विस्थापित आदिवासी पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर फैक्टरी के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। 29 अगस्त 2016 की शाम भाजपा सरकार की पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। पुलिस की गोली से दो लोगों की मौत हो गयी। करीब दर्जन भर लोग घायल हैं। इनमें चार को रिम्स रेफर किया गया है. भगदड़ में जमीन पर गिरे लोगों को पुलिसकर्मियों ने जूतों से रौंदा और बंदूक के कुंदे से पीटा। पुलिस ने किसी को नहीं बख्शा, जो मिला उसकी पिटाई कर दी।

झारखण्ड : भू-हड़प अध्यादेश के खिलाफ राजभवन का घेराव

झारखण्ड राज्य के गठन के बाद से अब तक राज्य सरकार ने देशी-विदेशी कंपनियों के साथ कुल 107 एमओयू किये। लेकिन यह तीखे जन विरोध का नतीज़ा है कि कोई कंपनी उसे अमली जामा पहनाने में कामयाब नहीं हो सकी। आख़िर उद्योग हवा में तो लगाये नहीं जा सकते। लोगों ने ताल ठोंक कर कहा कि वे विकास उर्फ़ उद्योगों के नाम पर अपनी एक इंच ज़मीन भी क़ुर्बान नहीं होने देंगे। यह हुआ एसपीटी-सीएनटी एक्ट के बल पर ।भाजपा सरकार ने राज्य में सरकार बनाते ही छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी एक्ट) और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (एसपीटी एक्ट) में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी कर दिया। राज्यपाल के मार्फत यह अध्यादेश मंज़ूरी के लिए अभी राष्ट्रपति के पास है। इस जमीन हड़प अध्यादेश के खिलाफ झारखण्ड के आदिवासी हर दिन विरोध प्रदर्शन, सभा-रैली कर रहे है । 24 अगस्त 2016 को हजारों आदिवासियों ने राजभवन का घेराव करते हुए अपने संकल्प को दोहराया कि "एक इंच भी जमीन नहीं देंगे"। पेश है दीपक रंजीत की रिपोर्ट;

24 अगस्त 2016 को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार झारखंडियों के जमीन रक्षा के लिए बना कानून सीएनटी एक्ट 1908 और सीएनटी एक्ट 1949 में संसोधन के खिलाफ और रघुवर सरकार के झारखंडी विरोधी स्थानीय नीति में संसोधन के लिए पांचवी अनुसूची क्षेत्र के मुखिया व झारखण्ड के राज्यपाल के समक्ष झारखण्ड के 36 जन संगठनों के लगभग 1500 झारखंडियों ने गर्म जोशी से प्रदर्शन किया।

ठीक 11 बजे मोराबादी से रैली निकल कर अलबर्ट एक्का चौक होते हुए राज्यपाल भवन पहुंची. रस्ते भर युवा गर्म जोशी से नारा लागाते हुए चल रहे थे कि "स्थानीय नीति में सुधार करो", "सी एन टी एक्ट में छेड़छाड़ करना बंद करो", खतियान आधारित स्थानीय नीति हो,"झारखंडी एकता जिंदाबाद आदि.

रैली पहुचने के बाद राज्यपाल द्रोपदी मुर्मू को मेमोरेंडम देने के लिए कर्मा उराव, प्रकाश उराव, दयामनी वारला, वासवी कीड़ों, प्रेम शाही मुंडा, शशि उराव, विकास मिंज बाबूलाल मरांडी के अलावे और 10-12 साथी गये थे.

मेमोरेंडम में तीन बिन्दुओं पर विस्तार से प्रकाश दे राज्यपाल का ध्यान आकर्षित करने का चेष्टा किया गया.

- सी. एन. टी. एक्ट एवं एस. पी. एक्ट में संशोधन का विरोध
- जमावंदी वह लैंड बैंक के संदर्भ में
- अधिसूचित स्थानीय नीति में संसोधन के संदर्भ में

मेमोरेंडम में सी. एन. टी. एक्ट और एस. पी. टी. एक्ट संसोधन अध्यादेश 2016 को आदिवासी विरोधी साथ ही साथ झारखंडी विरोधी बतया. कानून में बदलाव इसलिए किया जा रहा ताकि आदिवासियों से आसानी से जमीन लेकर छोटे एवं मझले उद्द्योगपतियों को दिया जा सके. साथ ही यह भी याद दिलाया गया है कि सी. एन. टी. एक्ट और एस. पी. टी. एक्ट होते हुए भी कैसे झारखंडियों का जमीन दबंगों के हाथों में चला जा रहा है?

जमाबंदी व लैंड बैंक के संदर्भ में कहा है कि ये गांव विरोधी नियम है. सरकार जिस तरीके से गैर मजुरवा जमीनों को लैंड बैंक के तहत ला कर बाद में उद्द्योग घराने के सेवा में पेश करने फ़िराक में लगी हुई है सरकार मनसे पर कभी सफल नहीं होगा. क्यूँकि जब भी कोई गांव बनता है तो सिर्फ वह 20-30 घरो में बसने वाली 30-40 परिवार ही नाह बसते है. उसके साथ साथ कृषि कार्य के लिए मवेशी भी होते. मवेशियों के चरने के लिए चारागाह भी जरुरत होता है. गांव में रहने वाले बच्चों के लिए खेलने के मैदान भी होता है. गांव वाले इन सब कामों के लिए गैर मजुरवा जमीन का ही उपयोग करते है. इसके लिए मांग किया राज्यपाल को याद दिलाया कि गैर -मजुरवा जमीन ग्राम सभा कि होती है और ग्राम सभा सबसे बुनियादी व्यवस्था है.

प्रस्तावित स्थानीय नीति में बाहरियों के सरकारी में घुसने के का खुला छुट देती है. यह नीति बाहरियों को खुस करने के लिए ही बनाया गया है. साथ ही झारखंडियों के लम्बे संघर्ष को छलने का काम किया है.

अतः इसे झारखंडी हित में यथा शीघ्र बदलने – सुधार करने का मांग किया.

भावी कार्यक्रम

28 अगस्त 2016 को रैली की समीक्षा बैठक रांची में किया जायेगा. 28 अक्टूबर से पहले तक तीनो मांगे नहीं मानने पर **28 अक्टूबर** को मोराबादी में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा. इसके बाद भी मांगे नहीं मानने पर राज्य भर में आर्थिक नाकेबंदी हेतु चक्का जाम आन्दोलन चलाया जाएगा.

कार्यक्रम को सफल बनाने में निम्न संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा.

सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट आफ ट्राइबल राईटस, राजी पह्डा प्रार्थना सभा, मुडमा, आदिवासी सरना महासभा, आदिवासी छात्र संघ, आदिवासी जन परिषद्, आदिवासी सेना, भारत मुंडा समाज, आदिवासी लोहरा समाज, एच.इ. सी हटिया विस्थापित परिवार समिति, आदिवासी मूलवासी अस्तिव रक्षा मंच, ए. आई. पी. एफ, आदिवासी युवा संगठन, झारखण्ड बचाओ संगठन, झर्कह्न्द बचाओ मंच, अखिल भारती आदिवासी धर्म परिषद्, आदिवासी बुद्धिजीवी मंच, जागो पहाड़ सरना समिति, आदिद अखाडा, केथोलिक महासभा, कौंसिल आफ चर्चेस, झारखण्ड जनाधिकार मंच, आल चर्चेस झारखण्ड प्रदेश, आदिवासी गोंड महासभा, लापुर पारिस, उराव/कुडुख छात्र संघ, केथोकिल महिला संघ, झारखण्ड लोकतान्त्रिद क छात्र मोर्चा, झारखण्ड बड़ाइक युवा संघ, रांची खड़िया महासभा, वेदिय विकास परिषद्, एसटी/एससी परिसंघ, शहीद विरसा सेवा समिति, केन्द्रीय विरसा सेवा समिति, केन्द्रीय सरना समिति, रांची सरना समिति कांके, बोदेया ग्राम सभा, झारखण्ड लोकतान्त्रिक छात्र मोर्चा, अखिल भारती आदिवासी मंच, अखिल भारती आदिवासी परिषद्, मांझी परगना इवन वेसी दुमका संथाल परगना.

72 वर्षों से डिमना डैम विस्थापित आदिवासियों का टाटा के खिलाफ बहादुराना प्रतिरोध

झारखण्ड के जमशेदपुर में टाटा स्टील कंपनी को पानी देने के लिए के लिए 1942 में जमशेदपुर से 12 किमी दुर डिमना डैम बनाया गया. डैम के लिए 12 गांव के लोगों को विस्थापित किया गया. गांव वालों को उस समय मुआवजे की सिर्फ एक क़िस्त दी गई. शेष मुआवजे के लिए विस्थापित आदिवासी 72 वर्षों से संघर्षरत है. जमशेदपुर से दीपक रंजीत की रिपोर्ट;

उस समय जो जमीन लिया सो लिया ही उसके अलावा टाटा कंपनी ने ग्रामीणों के रैयती जमीनों को पिलर गाड़ के कब्जा कर रक्खा था. उन जमीनों में ग्रामीणों में डैम के निर्माण काल से ही ग्रामीणों को न तो खेती करने के लिए देते थे और न ही अन्य कोई और काम करने देते थे.

जमशेदपुर में #TATA #STEEL अपने कंपनी के पानी के पूर्ति के लिए के लिए 1942 को जमशेदपुर से 12 किमी की दुरी स्थित मिर्जाडीह में एक डैम बनाया है. जिसका नाम डिमना डैम रखा. डैम के निर्माण के लिए 12 गांव के लोगों को विस्थापित होना पड़ा था. गांव वालों का कहना है की उस समय उन्हें मुआवजे का सिर्फ एक क़िस्त ही क़िस्त मिला है. शेष राशि के लिए विस्थापित लोग अब तक संघर्षरत है.

उस समय जो जमीन लिया सो लिया ही उसके अलावे टाटा कंपनी ने ग्रामीणों के रैयती जमीनों को पिलर गाड़ के कब्जा कर रक्खा था. उन जमीनों में ग्रामीणों में डैम के निर्माण काल से ही ग्रामीणों को न तो खेती करने के लिए देते थे और न ही अन्य कोई और काम करने देते थे.

2009 में जब झारखंड मुक्ति वाहिनी ने टाटा की मनमानी के खिलाफ ग्रामीणों को गोलबंद करने लगा. तब जाकर लोगों में आत्मविश्वास जगा और लोगो में हिम्मत जागी. उसके बाद ग्रामीणों ने रैयती जमीनों पर टाटा के द्वारा गाड़े गये पिलरों को उखाड़ फेंका और उन जमीनों के एक बार फिर अपने कब्जे में ले खेती करने लगा.

उत्तर प्रदेश

दुधवा नेशनल पार्क : संगठित लोगों की चेतावनी को प्रशासन ने लिया गंभीरता से, उपजिलाधिकारी ने स्वीकार किए सामुदायिक दावे

24 अगस्त 2016 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा नेशनल पार्क व टाइगर रिज़र्व क्षेत्र में बसे 20 गांवों के आदिवासियों ने प्रशासन को नोटिस भेज कर चेतावनी दी थी कि जब 29 अगस्त 2016 को आदिवासी अपने दावे जमा करने आए तो उन्हें स्वीकार कर लिए जाए कोई आना-कानी नहीं होनी चाहिए. उपजिलाधिकारी ने उपस्थित होकर स्वीकार किये लघुवन संसाधन के अधिकार के सामुदायिक दावे । हम यहाँ आपसे साझा कर रहे है अखिल भारतीय वनजन श्रमजीवी यूनियन की प्रेस विज्ञप्ति;

29 जुलाई 2016 को दुधवा नेशनल पार्क क्षेत्र पलिया कलां-खीरी के थारू जनजाति बहुल 18 गांवों की ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों द्वारा थारू आदिवासी नेतृत्वकारी महिलाओं की अगुआई में हजारों की संख्या में दावाकर्ताओं ने एक भव्य पुनः दावाप्रस्तुतिकरण एवं वनाधिकार यात्रा निकाल कर दुधवा नेशनल पार्क व टाईगर रिज़र्व क्षेत्र चन्दन चैकी स्थित एकीकृत जनजातीय परियोजना कार्यालय में थारू आदिवासी महिला मज़दूर किसान मंच सम्बद्ध अखिल भारतीय वन-जन श्रमजीवी मंच द्वारा आयोजित दावा प्रस्तुतिकरण एवं वनाधिकार समारोह में पहुंच कर अपने दावों की फाईलें वहां मौजूद उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति के अध्यक्ष उपजिलाधिकारी पलिया श्री शादाब असलम को सौंपी। उपजिलाधिकारी द्वारा वादा किया गया कि इन दावों को 10 दिन के अन्दर निस्तारण कर जिलास्तरीय समिति को अग्रसरित किया जायेगा। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय वन-जन श्रमजीवी यूनियन के राजनीतिक सलाहकार श्री धनंजय उपाध्याय शामिल रहे।

जैसा कि आपको विदित कराया गया था कि 31 जनवरी 2013 को यहां दुधवा नेशनल पार्क व टाईगर रिज़र्व क्षेत्र में बसे 46 गांवों में से 20 गांवों की वनाधिकार समितियों द्वारा वनाधिकार कानून नियमावली संशोधन-2012 के तहत प्रारूप-ग पर अपने दावे भरकर तत्कालीन एकीकृत जिला परियोजना अधिकारी के पास जमा करवाये थे, जिन्हें एक माह के अन्दर-अन्दर निस्तारित करने का वादा किया गया था। लेकिन अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही के कारण ये सभी फाईलें खुर्द-बुर्द कर दी गयीं। ग्राम स्तरीय समितियों द्वारा माह अप्रैल में वनाधिकार कानून की धारा 7 के तहत नोटिस जारी करने पर अधिकांश फाईलें हमें वापिस की गयीं, जिन्हें पुनः दुरुस्त किया गया। उन फाईलों को उपजिलाधिकारी द्वारा पुनः अपनी सुपुर्दगी में लेने के लिये वार्ता की गयी, लेकिन वे पिछले एक माह से लगातार टाल-मटोल करते रहे। नतीजतन ग्राम वनाधिकार समितियों ने 24 अगस्त को उपजिलाधिकारी पलिया/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति-पलिया को सम्बोधित एक नोटिस जारी किया। जिसमें सूचित किया गया कि ग्राम वनाधिकार समितियां व हजारों दावाकर्तागण 29 अगस्त 2016 को अपनी दावा फाईलें पुनः प्रस्तुत करने उनके कार्यालय पर आयेंगे, अगर फाईलें लेने में आना-कानी की गयी तो उनके कार्यालय पर अनिश्चित कालीन धरना दिया जायेगा।

संगठित लोगों की चेतावनी को प्रशासन को गम्भीरता से लेना पड़ा, जिसके फलस्वरूप स्थानीय संगठन थारू आदिवासी महिला मज़दूर किसान मंच सम्बद्ध अखिल भारतीय वन-जन श्रमजीवी यूनियन ने यह कार्यक्रम निर्धारित किया। दुधवा नेशनल पार्क क्षेत्र में स्थित एकीकृत परियोजना कार्यालय में उपजिलाधिकारी ने पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल होकर इन दावों को स्वीकार किया।

दोपहर करीब एक बजे दावा प्रस्तुतिकरण व वनाधिकार यात्रा चन्दन चैकी गौरीफंटा तिराहे से शुरु की गयी।

यात्रा की अगुआई यूनियन की अगुआ महिलाओं निबादा राणा, फूलमति राणा, रुकमा राणा, सहवनिया राणा, बिट्टी राणा, अनीता राणा, लालमति राणा द्वारा थारू

समुदाय की पारम्परिक पोशाक में अपने पारम्परिक अन्दाज़ में आन्दोलन के गीत गाते हुए की गई। मानसून की तपती ऊमस भरी दोपहर में हजारों की संख्या में महिलायें अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ पूरे उत्साह का प्रदर्शन करते हुए यात्रा में शामिल रहीं। यात्रा के मध्य में ही श्री धनंजय उपाध्याय भी अपनी करीब 50 लोगों की टीम के साथ पूरे उत्साह के साथ यात्रा में शामिल हुए व समारोह स्थल तक पहुंचे।

समारोह की शुरुआत में मुख्य अतिथि धनंजय उपाध्याय, उपजिलाधिकारी पलिया शादाब असलम, परियोजना अधिकारी यू.के. सिंह, निबादा राणा, अनीता राणा व वरिष्ठ साथी रामचन्द्र राणा को मंचासीन कराकर माल्यार्पण कराकर व बैज लगाकर सम्मानित किया गया।

मंच का संचालन अखिल भारतीय वन-जन श्रमजीवी यूनियन की नेशनल एक्सीक्यूटिव बाडी के सदस्य रजनीश द्वारा करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा को विस्तार से रखते हुए कहा गया कि ''वनाधिकार कानून नियमावली संशोधन-2012 के तहत तीसरे दावे प्रारूप-ग को यहां के 20 गाॅवों द्वारा परियोजना कार्यालय में 31 जुलाई 2013 को जमा करवाया गया था। एक महीने में निस्तारण का वादा करने के बावज़ूद परियोजना विभाग द्वारा फाईलों को खुर्द-बुर्द करके एक बार फिर उन्हीं ऐतिहासिक अन्यायों को दोहराने का काम किया गया, जिनका उल्लेख वनाधिकार कानून की प्रस्तावना में किया गया है। जिसे लेकर हम आज दोबारा फाईलें ठीक करके यहां उपजिलाधिकारी महोदय के सुपुर्द करने आये हैं। वनाधिकार कानून में जो नहीं है, उसकी हम बात करेंगे नहीं, लेकिन कानून के अन्दर जो भी अधिकार हैं उनमें से सुई की नोक के बराबर भी हम छोड़ने वाले भी नहीं हैं। रामचन्द्र राणा (बन्दरभरारी) द्वारा वनाधिकार नियमावली संशोधन-2012 के तहत सन् 2013 में प्रस्तुत किये गये 20 गाॅवों के दावों के प्रति जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा बरती गयी लापरवाही पर अपना गुस्सा ज़ाहिर करते हुए चुनौती देते हुए अपनी बात को रखा। उन्होंने भी 2013 में जमा कराये गये दावों को खराब करने का आरोप लगाया और पास ना करने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी दी।

निबादा राणा ने स्पष्ट रूप से कहा कि उ0प्र0 विधान सभा चुनावों की घोषणा व आचार संहिता लागू होने से पहले अगर हमारे दावों को स्वीकार नहीं किया गया तो हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे व काले झण्डे दिखाकर विरोध प्रदर्शित करेंगे।

मुख्य अतिथि धनंजय उपाध्याय जो कि अ.भा.व.ज.श्रमजीवी यूनियन के राजनैतिक सलाहकार होने के अलावा उ0प्र0 में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की राज्य कार्यसमिति के सदस्य भी हैं, उन्होंने अपने सम्बोधन में संशोधन के बाद करीब 4 वर्ष बीत जाने पर भी दावों का निस्तारण ना किये जाने पर अधिकारियों द्वारा बरती गयी लापरवाही पर अफसोस ज़ाहिर करते हुए, पुरज़ोर तरीके से मौज़ूद अधिकारियों पर दबाव बनाते हुए कहा कि वे इस बारे में मुख्यमंत्री महोदय से बात करके इन दावों पर राज्य सरकार के स्तर पर कार्रवाई कराते हुए, चुनावी अधिसूचना से पहले-पहले इनका निस्तारण हर हाल में करायेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया िकइस काम में अब कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

तत्पश्चात उपजिलाधिकारी पलिया जो कि वनाधिकार कानून की उपखण्ड स्तरीय समिति के अध्यक्ष भी हैं व नोडल अधिकारी एकीकृत जनजातीय परियोजना अधिकारी को ग्राम सूरमा, सारभूसी, गबरौला, किशन नगर, सिकलपुरवा, भट्टा, बन्दर भरारी, जयनगर, देवराही, नझौटा, ढकिया, बिरिया खेड़ा, सूडा, भूड़ा, छिदिया पश्चिम, सरिया पारा, कजरिया, बरबटा के कुल 18 गाॅवों के 2372 परिवारों द्वारा किये गये दावों की फाईलें ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों द्वारा सौंपी गयीं।

उपजिलाधिकारी पलिया श्री शादाब असलम द्वारा दावे प्राप्त करने के बाद अपने सम्बोधन में कहा गया कि वे ''वनाधिकार कानून के तहत समुदायों को प्राप्त अधिकारों के लिये पूरी तरह से संवेदनशील हैं और देश के संविधान के बाद कानून ही सबसे बड़ी चीज़ होती है और देश के किसी भी कानून का पालन करना उनकी ज़िम्मेदारी है। एकीकृत जिला परियोजना अधिकारी यू.के. सिंह ने भी अपने काम को ज़िम्मेदारी से करने की बात रखते हुए सभा को सम्बोधित किया। जिसमें उन्होंने त्वरित रूप से आज ही से काम शुरु करने की बात की।

ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के खिलाफ धरने को 6 माह : किसान नहीं जमीन देने को तैयार

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ 25 फ़रवरी 2016 से किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे है. अखिल भारतीय किसान महासभा और किसान संघर्ष परिषद के संयुक्त बैनर तले किसान अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।

स्पेशल इकोनोमिक जोन (विशेष आर्थिक क्षेत्र) की बड़ी विफलता के बाद अब पूंजीवादी समर्थक लॉबी ने लाखों लोगों को बेघर करने का, भूमि छीनकर उन्हें बंधुआ मजदूरी के जंजाल में फ़साने का नया तरीका ढूँढ लिया है। इसी को औद्योगिक कॉरिडोर के नाम से जाना जा रहा है और इस तरह के शोषक अर्थनीति को सरकार किसी भी हद तक जाने को तैयार है। देश में अब तक 11 से अधिक कॉरिडोर योजनाबद्ध है, जिससे लाखों लोगों के बेघर होगे और साथ ही साथ उनकी आजीविका और आत्मनिर्भर व्यवसाय भी खत्म हो जायेगे।

ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा) 1900 किमी. लंबी रेल लाइन है जो पूरी तरह से कोलकाता के नजदीक डानकुनी और पंजाब के लुधियाना के बीच सामान और कच्ची सामग्री को ढोने के लिए समर्पित है और यह विश्व बैंक की एक परियोजना है। फ्रेट कॉरिडोर के इर्दगिर्द विशाल औद्योगिक और शहरी विस्तार किये जाने की योजना को ही अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के नाम से जाना जा रहा है।

अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का विस्तार सात राज्यों के 20 शहरों में होगा जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं।

एडीकेआईसी (अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता औद्योगिक गलियारा) परियोजना के दायरे में अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, अंबाला, सहारनपुर, दिल्ली, रूड़की, मोरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, पटना, हजारीबाग, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर और कोलकाता शहर आयेंगे।

एडीकेआईसी परियोजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी और कम से कम 5,50,000 वर्ग किमी. बेल्ट इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जायेगा। परियोजना का पहला चरण पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगा और इसमें सभी सात राज्यों में से प्रत्येक राज्य में 10 वर्ग किमी. में कम से कम एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना की जाएगी।

टाटा का सिंगूर में भूमि अधिग्रहण रद्द : दस साल बाद मिलेगी किसानों को जमीन

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2016 को पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा नैनो प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित की गई करीब 1000 एकड़ जमीन वापस किसानों को देने का फैसला किया। फैक्टरी सिर्फ दो महीने चली थी. किसानों के विरोध के बाद टाटा को उस जगह से भाग जाना पड़ा था.

अदालत ने कहा कि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने जमीनों के अधिग्रहण के बारे में किसानों की शिकायतों की उचित तरीके से जांच नहीं की। किसी कंपनी के लिए राज्य द्वारा भूमि का अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के दायरे में नहीं आता।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फैसले को अपनी जीत बताया है। उन्होंने सिंगूर अधिग्रहण के खिलाफ वाम मोर्चा सरकार द्वारा किए गए अधिग्रहण के विरोध में एक आंदोलन चलाया था। इस के परिणामस्वरूप उन्हें बंगाल चुनावों में बड़ी सफलता मिली थीं और वे मुख्यमंत्री बनी थीं।

उल्लेखनीय है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकार के अधिग्रहण को सही ठहराया था, जिसके खिलाफ किसानों की ओर से गैर सरकारी संगठनों ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

कोलकाता से लगभग 40 किलोमीटर दूर सिंगूर में टाटा मोटर्स की महत्वाकांक्षी नैनो परियोजना के लिए संयंत्र स्थापित करने के लिए 2006 में तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने कुल 997.11 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। उस समय विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस (अब सत्ता में) और कृषि जमीं जिबिका रक्षा कमेटी (केजेजेआरसी) का कहना था कि इसमें से 400 एकड़ जमीन किसानों से उनकी मर्जी के खिलाफ ली गई है, लिहाजा यह जमीन उन्हें लौटा दी जानी चाहिए। ममता बनर्जी ने तब इसको लेकर धरना भी दिया था। विरोध करने वालों का यह भी कहना था कि सिंगुर में चावल की बहुत अच्छी खेती होती है और वहां के किसानों को इस परियोजना की वजह से विस्थापित होना पड़ा। सिंगुर ने नैनो प्लांट विरोध प्रदर्शन और आंदोलन के कारण किसी न किसी मुश्किल में घिरा रहा।

वहां 28 अगस्त 2008 के बाद प्लांट में कोई काम नहीं हो पाया है। विवाद को देखते हुए टाटा मोटर्स ने नैनो प्लांट का काम रोक दिया।

गुजरात

जबरन भूमि अधिग्रहण, कार्पोरेट लूट और फासीवाद के खिलाफ निर्णायक जंग का एलान : देश भर के जनसंघर्षों ने अहमदाबाद में लिया संकल्प

अहमदाबाद, 18 जुलाई 2016 : गुजरात विद्यापीठ में भूमि अधिकार आंदोलन के नेतृत्व में चल रहा तीन दिवसीय जनसंघर्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।। देश के 15 राज्यों से आए 500 से भी ज्यादा जनसंघर्षों के प्रतिनिधियों ने सम्मिलित स्वर में जल-जंगल-जमीन और जनतंत्र की लूट के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। सम्मेलन के अंतिम दिन के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा (कैनिंग लेन) से हनन मुल्ला ने कहा कि भूमि अधिकार आंदोलन न सिर्फ जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा बल्कि वह सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई को भी आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि जल-जंगल-जमीन और जनतंत्र के खिलाफ लड़ाई केंद्र और राज्य दोनों ही स्तरों पर तेज की जाएगी। राज्यों में भूमि अधिकार आंदोलन के नेतृत्व में विभिन्न जनसंघर्षों के साथ समन्वय स्थापित करने की कोशिश करेगा और इस समन्वय के दौरान तीन दिवसीय सम्मेलन में हुई चर्चाओं को अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों के बीच लेकर जाएंगे।

अखिल भारतीय वन श्रमजीवी यूनियन से रोमा मलिक ने कहा कि आज जनांदोलनों के साथियों के सामने परिस्थितियां संकटपूर्ण है। शासक वर्ग किसी भी तरह के विरोध के स्वर को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। ऐसे में जरूरत है कि एक क्षेत्र में अलग-अलग मुद्दों पर लड़ रहे जनसंघर्ष आपस में एकता तथा समन्वय स्थापित करें तभी वह शासक वर्ग की दमनकारी नीतियों का मुकाबला कर पाएंगे। रोमा ने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ मुद्दों की नहीं है बल्कि वर्गीय लड़ाई है और हमें इस लड़ाई को आगे इंकलाब तक लेकर जाना है।

सर्वहारा जनांदोलन, महाराष्ट्र से उल्का महाजन ने तीन दिवसीय सम्मेलन का समापन करते हुए कहा कि जिस तरह से पूंजीपति वर्ग जबरन किसानों की जमीनें अधिग्रहित कर रहे हैं और उसे विकास का नाम देते हैं उसी प्रकार जनता को एकजुट होकर इन पूंजीपतियों के विशालकाय भवनों पर कब्जा करके वहां खेती करनी होगी। और वही देश का असल विकास होगा। उल्का ने इस लड़ाई में महिलाओं की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एक तरफ पुरूष साथी मुआवजे पर आकर समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं वहीं महिलाएँ लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ने का जज्बा रखती हैं।

जनसंघर्षों की भविष्य की रणनीति पर सम्मेलन में एक 20 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें भूमि सुधार, बीजों पर किसानों का हक, जल तथा प्राकृतिक संसाधनों पर समुदाय का हक, स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की विकास नियोजन में भूमिका, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि के निजिकरण पर रोक, सांप्रदायिक तथा फासीवादी राजनीति का प्रतिरोध, दलित तथा आदिवासियों पर के साथ अन्याय का खात्मा, आंदोलनकारियों पर लगाए गए फर्जी केसों को वापस लेने, एएफएसपीए को रद्द करने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में सैन्यीकरण खत्म कर शांति बहाल करने जैसे अन्य मुद्दों पर प्रस्ताव रखा गया। इन प्रस्तावों को सम्मेलन ने सर्वसम्मति से पारित किया। भूमि अधिकार आंदोलन द्वारा केंद्र और राज्यों में लड़ाई को तेज करने के लिए आगामी छह महीने के लिए तीन कार्यक्रमों की घोषणा की गई जो निम्न हैं-

- 10 अगस्त 2016 को देश में हो रहे जबरन भूमि अधिग्रहण और भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 के उल्लंघन के विरोध में देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
- 2 सितंबर 2016 को देश भर के ट्रेड यूनियनों तथा मजदूर संगठनों द्वारा आहूत देश व्यापी हड़ताल का भूमि अधिकार आंदोलन समर्थन करेगा और अपने-अपने क्षेत्र में मजदूरों के साथ मिलकर हड़ताल को सफल बनाने में सहयोग देगा।
- नर्मदा जल-जमीन हक्क सत्याग्रह के तहत 29-30 जुलाई 2016 को बड़वानी, मध्य प्रदेश में एक विशाल जन प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा।
- " दिल्ली चलो" नारे के साथ देश भर में एक साथ चार स्थानों से यात्राओं की शुरुआत होगी जो 24 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों के एक विशाल जनप्रदर्शन के रूप में समाप्त होगी।

36 साल बाद नर्मदा विस्थापितों को एक बार फिर उजाड़ने को तैयार गुजरात सरकार

सन 1980 के दौरान पहली बार नर्मदा बांध से विस्थापित मध्य प्रदेश के 19 गाँवों के आदिवासियों को अपना गाँव छोड़कर, गुजरात के जिला नर्मदा के केवाडिया कॉलोनी स्थित पुनर्वास स्थल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था | इस विस्थापन से उनकी भाषा-संकृति, पर्यावरण भी प्रभावित हुआ था पर उन्होंने फिर भी अपने हकों के लिए लड़ाई जारी रखी |आज 36 साल बाद गुजरात सरकार ने उन्हें पुनर्वास स्थल से दुबारा यह कहकर विस्थापित करने का निर्णय लिया कि उनको गलत पात्रता के तहत सारे लाभ दिए गए थे | ऐसे 1000 लोगों को गुजरात सरकार ने दुबारा विस्थापित करने की योजना बनायी है | सरकार की इस बेशर्मी से नाराज आदिवासी-किसान गुजरात के नर्मदा जिले के केवाडिया कॉलोनी स्थित पुनर्वास कार्यालय के सामने 15 जुलाई से धरने पर बैठे हैं | क्रमिक अनशन भी जारी है । गुजरात के अनशनकारियों कि विस्तृत रिपोर्ट;

नर्मदा, 20 जुलाई, 2016: सरदार सरोवर प्रकल्प प्रभावितों का गुजरात में धरना छठे दिन भी जारी रहा | कई सौ गुजरात के आदिवासी-किसान व निमाड़ के किसान जो सरदार सरोवर प्रकल्प प्रभावित है और जिनका पुनर्वास गुजरात में हुआ था, गुजरात के जिला नर्मदा के केवाडिया कॉलोनी स्थित पुनर्वास कार्यालय के सामने बैठे हैं | कम से कम 50 महिलायें व 50 पुरषों ने आज सामूहिक अन्नशन जारी रखा है | सन 1980 के दौरान सरदार सरोवर प्रकल्प से प्रभावित 19 गाँव के आदिवासियों को अपना गाँव छोड़कर, पुनर्वास स्थल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था | इस विस्थापन से उनकी संकृति, पर्यावरण भी प्रभावित हुआ था पर उन्होंने फिर भी अपने हकों के लिए लड़ाई जारी रखी | गुजारत के प्रभावितों के पुनर्वास के लिए सन 1987 को कट-ऑफ-डेट बनाया गया था वही मध्यप्रदेश के लिए सन 2000 और उसके आगे के साल को रखा गया था | इस फर्क के कारण गुजरात के प्रभावितों को काफी झेलना पड़ा था क्योंकि 50 साल से रह रहे लोगों को पुनर्वास नीति के अनुसार ज़मीन व रोज़गार के लाभ नहीं मिले | पुनर्वास स्थल में आज तक वो सारी सुविधायें नहीं मिली है जो ट्रिब्यूनल अवार्ड में सूचीबद्ध है | कई सारे पुनर्वास स्थल में पानी की सुविधायें नहीं है | कहीं पर जलनिकासी की सुविधा नहीं तो कही पर कब्रिस्तान नहीं और ना ही चराने के लिए मैदान और खेतों में जाने के लिए रास्ता भी नहीं है |

ट्रिब्यूनल अवार्ड के तहत जो सिंचाई का लाभ देना था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के चार न्यायाधीशों ने भी समर्थन किया था, आज तक पुनर्वास स्थल पर नहीं पहुंचा है | गुजरात के विस्थापितों का रोष और भी बढ़ गया जब गुजरात सरकार ने उन्हें पुनर्वास स्थल से दुबारा यह कहकर विस्थापित करने का निर्णय लिया कि उनको गलत पात्रता के तहत सारे लाभ दिए गए थे | ऐसे 1000 लोगों को सरकार ने दुबारा विस्थापित करने की सूची बनायी है | जैसे ही गुजरात सरकार ने नटवर सामा जैसे विस्थापितों को दोबारा उजाड़ना शुरू करा, बाकी विस्थापितों ने इस कार्यवाही के खिलाफ धरना शुरू कर दिया | गुजरात सरकार प्रभावितों की इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकाल रही है और ना ही उनकी शिकायतों का निबटारा कर रही है |

अनेक संगठनों व आंदोलनों ने विस्थापितों के आन्दोलन को समर्थन दिया और धरना स्थल पर आकर गुजरात में विकास के परिकल्पना को लेकर चर्चा की | सारे संगठनों ने चेतवानी देते हुए बयान जारी किया कि अगर गुजरात सरकार संवाद नहीं करती है तो हम आन्दोलन को और तीव्र करेंगे | विस्थापितों के इस धरने को कांग्रेस, जदयू व टाइगर सेना का समर्थन भी मिल रहा है |

धरने को और भी मजबूती मिली है जब कॉलोनी से प्रभावित 6 गाँव के लोगों ने धरने को समर्थन दिया है और उनके साथ 70 और गाँव को लोगों ने समर्थन दिया है जो पर्यटन प्रकल्प से प्रभावित है |

मध्य प्रदेश

पेंच बांध से विस्थापित शरणार्थियों से भी बदतर जीवन जीने को मजबूर : जांच दल की रिपोर्ट

यह कहानी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पेंच बांध से विस्थापित लोगों को बसाने के लिए बनाये गये पुनर्वास केंद्र की है। इस तरह के पांच केंद्र बनाये गए है जहाँ पर न रहने के लिए घर है न ही वहां पर पानी, बिजली इत्यादि की व्यवस्था भी नहीं है। प्रशासन ने किसानों को बिना मुआवजा दिए जबरन पुनर्वास केंद्रों पर ले जाकर पटक दिया है। शरणार्थियों से भी बदतर हालत में रह रहे इन किसानों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के इंतजाम के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता है। 14 जुलाई 2016 पुनर्वास केंद्रों का जायजा लेकर लौटे किसान संघर्ष समिति के जांच दल ने 19 जुलाई 2016 को छिंदवाड़ा के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है;

प्रति,
जिलाधीश
छिन्दवाड़ा, मध्य प्रदेश
माननीय महोदय,
पुनर्वास नीति का पालन पेंच व्यपर्वन परियोजना के प्रभावित गांव वासियों को नही मिल रहा है।

दिनाँक 14/07/2016 को किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष, जन आन्दोलनों के एवं समाजवादी समागम के राष्ट्रीय संयोजक पूर्व विधायक डॉ. सुनीलम्, किसान संघर्ष समिति की प्रदेश उपाध्यक्ष एड. आराधना भार्गव, किसान संघर्ष समिति के छिन्दवाड़ा ब्लाक के अध्यक्ष सज्जे पटेल, किसान संघर्ष समिति के सदस्य वसीर भाई एवं मछुआरा संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष श्री आशाराम उईके जी पेंच व्यपर्वतन परियोजना से विस्थापित पाँच पुनर्वास स्थल पर पहुँचे जहाँ पर पाया गया कि मध्यप्रदेश की आदर्श पुनर्वास नीति का कहीं पर भी पालन नही किया गया है। जो किसान अपने गांव में आधा-आधा एकड़ जमीन पर अपना मकान बनाकर पीढ़ियों से रहते चले आये थे उनके मकान पुलिस के बल पर मार-पीट कर धमकाकर जोर -जबरदस्ती से खाली करवा लिये गए। तथा उन्हें प्लाट आवंटन के एक कागज का भू-खण्ड आबंटन, जिस पर भू-खण्ड आबंटन प्रभारी अधिकारी लिखा हुआ है पर तहसीलदार की सील लगी हुई है दे दिया गया है । स्पष्ट है कि मालिकाना हक का मकान तो अधिग्रहित कर लिया मालिकाना हक देना तो दूर उसकी जगह पर उसे पट्टा भी नही दिया गया। कुआँ, ट्यूब वेल, पाईप लाईन का मुआवजा पूरे क्षेत्र में एक भी किसान को नही दिया गया। किसान द्वारा माँगने पर कहा गया कि सिंचित क्षेत्र का मुआवजा दे दिया गया है, इस करण से कुआँ, ट्यूब वेल, पाईप लाईन का मुआवजा नही दिया जावेगा।

जाँच दल की टीम सबसे पहले ग्राम बारह बिरयारी पहुँची - जहाँ सुखलाल से बात की उन्होने बताया कि दिनाँक 19/07/2016 को एस.डी.एम. चौरई एवं तहसीलदार 20 - 25 पुलिस वाले के साथ आए और कहने लगे कि गांव खाली करो हम लोगो ने कहा कि पानी गिर रहा है, ऐसे में कैसे घर खाली किये जा सकते है। मकान का मुआवजा 75,000 से 3,00,000 लाख रूपया दिया गया हैं इतने में मकान नही बने है। मकान के नींव (आधार) बानाने में ही पैसा खर्च हो चुका है, रहने के लिए छत भी नही है। बताइए ऐसी स्थिति में हम अपना घर, गाय, बैल, भैंस, मुर्गा-मुर्गी, बकरा -बकरी छोड़ कर कहाँ चले जाएँ। इस पर अधिकारियों ने कहा कि सिगना कॉलोनी चले जाओ, औरतों ने कहा कि सिंगना कॉलोनी में हमारे परिवार के एवं हमारे गांव के कोई नही रहते हम वहाँ असुरक्षित है। सिगना कॉलोनी के मकान भी टूटे हुए है। हमारे जानवर भी वहाँ बँध नही सकते इसलिए हम सिगना कॉलोनी नही जायेगे इस पर एस.डी.एम. एवं तहसीलदार को गुस्सा आया और उन्होने महिलाओं पर लाठी चार्च करवा दिया तथा कमालबी को लाठी से बहुत पिटवाया गांव के एक व्यक्ति के हाथ भी एक मकान का मुआवजा नही

फैक्चर हो गया रात में धनौरा गांव के चार ट्रेक्टर में जोर जबरदस्ती से सामान भर कर हिवर खेड़ी स्कूल में रख दिया। कमालबी का सामान ग्राम पंचायत भवन में रखा हुआ है, पुनर्वास स्थल पर पीने का पानी उपलब्ध नही है। अभी गांव के लोग टेंकर से पानी खरीद कर पी रहे है। बारह बिरयारी मे स्कूल नही है। ग्राम पंचायत भवन में स्कूल लग रहा हैै पाँचवी क्लास के 9 बच्चे, चौथी क्लास के 6 बच्चे, तीसरी क्लास के 7 बच्चे, पहली एवं दूसरी क्लास से 5-5 बच्चे एक कमरे में ही पढ़ रहे थे

मुआवजे में विसंगती - अभिभान भलावी पिता रूपचन्द्रमणि भलावी ने बताया कि साढ़े छः एकड़ खेत मेरे पिता के नाम पर था जिस पर 20 जाम, के पेड़ एक नीबू, एक रेठू, तीन बबूल, एंव 20 सीताफल के पेड़ थे खेत सिंचित था जिसमें दो कुआँ था कुआँ का मुआवजा नही दिया गया है। कुल तीस लाख रूपया का मुआवजा मिला है।

राजेन्द्र मसराम ने बताया कि मेरे नाम पर 16 एकड़ भूमि थी जिसका मुआवजा 65 लाख रूपया देने का नोटिस मिला कुआँ पाईप लाईन एवं बोर का पैसा नही मिला 65 लाख रूपये में से 10 लाख रूपया नही दिये गए क्यो नही दे रहे है, इसका कारण नही मालूम। बालकृष्ण मसराम ने बताया कि 16 एकड़ जमीन का मुआवजा 65 लाख रूपया मिला। गांव के बाहर पेंच व्यपर्वन वृहत परियोजना जिला छिन्दवाड़ा पुनर्वास स्थल का बोर्ड अवश्य लगा है। जिसमें एक आदर्श गांव में जो होना चाहिए उन सब का उल्लेख है किन्तु वास्तविकता की जानकारी तो गांव में ही जाकर लगी। स्कूल की बिल्डिंग बनाई तो गई है किन्तु बहुत अधिक पानी टपक रहा है। बच्चे नई बिल्डिंग में नही बैठ सकते। ग्राम बारह बिरयारी के बच्चे ग्राम पंचायत के एक कमरे में पाँच क्लास के बच्चे आकर बैठे थे, और एक क्लास के अन्दर ही दो टीचर उन्हें पढ़ा रहे है। मध्यान भोजन स्कूल में नही मिल रहा है। पुनर्वास केन्द्र के बोर्ड पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उल्लेख अवश्य किया है। परन्तु प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र भी उपलब्ध नही है। महालाल मसराम वल्द तुलाराम मसराम ने बताया कि छ. एकड़ खेत था मकान का 70,000 रूपया मिला दो माह पूर्व कलेक्टर एवं एस.डी.एम. गांव में आये थे तब कहा था कि 18,000 रूपयो मकान का सामान ढोने का दिया जायेगा किन्तु 12,000 रूपयो सामान ढोने को दिया गया। शेख ताहिर उम्र 35 वर्ष पिता शेख अहमद ने बताया कि मकान का 1,72,000 रूपया दिया गया है। उतने में मकान नही बन पा रहा है। आशाराम ने बताया कि उसके तीन पुत्र है अनिल मसराम, अमित मसराम, मन्तोस मसराम 10,00,000 रूपया खेत का मुआवजा मिला था मकान बनाने में पैसा खर्च हो गया।

पुनर्वास स्थल धनौरा - कन्हैराम पिता सहगू ने बताया कि उसके दो मकान थे। एक मकान का मुआवजा मिला और एक मकान का मुआवजा नही मिला ट्यब बेल, कुआ, पाईप लाईन का पैसा नही मिला। मरगू पिता शंकर ने बतया कि मेरे दो मकान का मुआवजा 6 लाख रूपया मिला पुनर्वास स्थल पर सीवर लाईन पाईप लाईन नही थी पीने के पानी भी उपलब्ध नही है। पाँच सौ रूपया टेंकर के हिसाब से पुर्नवास स्थल पर पानी खरीदने को मजबूर है। बिजली का कनेक्शन भी नही मिला है। पुनर्वास स्थल पर साँप बिच्छू निकल रहे है। शान्ति बाई पति राम रहेश लोधी ने बताया कि .290 हेक्टेयर जमीन खसरा नम्बर 257/16 एवं 259/17 खेत का मुआवजा 390748 देने की सूचना दिनांक 28/01/2016 को भू-अर्जन अधिकारी द्वारा लिखित दी गई उस कागज को लेकर हीवर खेड़ी सेन्ट्रल बैंक में ले जाकर दिखाया तो बैंक वालों ने कहा कि तुम्हारे खाते में 2 लाख 35 हजार रूपये ही आए है। मन्गी वल्द गिल्ली बेलवंशी धनौरा ने बताया कि 2,00,000 रूपये का कर्जा खेती को सुधारने के लिए लिया था जिसका ब्याज 1,20,000 रूपया हो गया है। बैक वाले कर्जे की राशि वसूल रहे है। सीताराम वल्द पन्ना वर्मा ने बताया कि 25000 रूपया का कर्जा लिया था जिसका ब्याज 4000 रूपया हो गया है। मुआवजे की राशि से बैंक वाले कर्जा काट रहे है। 10 दिन से धनौरा का स्कूल बन्द है। अस्पाताल की कोई व्यवस्था नही है। सिंगोड़ी पुनर्वास स्थल से 15 किमी. दूर छिन्दवाड़ा अस्पाताल 40 किमी. दूर और चौरई 60 किमी. दूर है।

अतः निवेदन है कि पेंच व्यपर्वन परियोजना से प्रभावति किसान, मजदूर, आदिवासी को पुनर्वास नीति का लाभी शीघ्रता शीघ्र दिलाया जावे ताकि पशु तुल्य जीवन जीने के लिए मजबूर लोग सम्मान पूर्वक अपना जीवन जी सकें। माँगें पूरी न होने पर किसान संघष समिति विस्थापित परिवारों के हक में आन्दोलन करने पर मजबूर होगी।

नर्मदा जल-जंगल-जमीन हक सत्याग्रह : जल समाधि कुबूल पर नहीं छोड़ेंगे ज़मीन

पिछले 36 साल से देश के सबसे बड़े विस्थापन के शिकार नर्मदा बांध के विस्थापित पुनर्वास और पुनर्स्थापन की लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी सरकार ने सरदार सरोवर बांध का कार्य भी अब पूरा कर दिया है । गेट्स लगाकर बांध की उंचाई 138.68 मीटर्स तक पहुंचाई गयी है। अब गेट्स लगाना बाकी है। 45,000 से अधिक आदिवासियों को जलसमाधि देने की यह साजिश एक बेरहम अन्याय है। इसके विरोध में 30 जुलाई से राजघाट (बडवानी) पर अनिश्चितकालिन नर्मदा जल जमीन हक सत्याग्रह जारी है ;

30 जुलाई 2016, नर्मदा किनारे, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में, सरदार सरोवर के डूब क्षेत्र में महात्मा गाँधी जी और कस्तूरबा, महादेव भाई देसाई की समाधि को गवाह रखकर एक ऐतिहासिक महारैली और सम्मेलन, देशभर के जनसंगठनों की एकता सामने ला रहा है। यह एकता है, विनाश और विकास के नाम पर लूट के खिलाफ। सही विकास में समता, सादगी और स्वावलंबन के मूल्य लाने के लिए ही नर्मदा घाटी का संघर्ष आज चोटी पर ले जाने की तैयारी है। सरदार सरोवर से गैर कानूनी, असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण डूब से टकराव लेने के लिए, 31 सालों से संघर्षरत नर्मदा घाटी की जनता फिर एक बार, नर्मदा जल-जंगल-ज़मीन हक सत्याग्रह शुरू कर चुकी है।

राजघाट पर महात्मा और कस्तूरबा गाँधी जी के समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित कर सत्याग्रह का हुआ आगाज़। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से आये डूब प्रभावित और शहादत तक डूब से टकराने का संकल्प लिया ।

अरुण श्रीवास्तव जी ने नर्मदा घाटी में होने वाले विनाश को देखते हुए कहा कि जो सरकार पूंजीपतियों के पैसों पर सत्ता में आई हो उनसे लोगों के लिए जन्तान्त्रिक विकास की उम्मीद रखना बेकार है। वहीँ नर्मदा की महिला शक्ति को सराहते हुए आन्दोलन को पूर्ण समर्थन और इसके मांगों को ऊपर रखने का आश्वासन दिया।

चिन्मय मिश्र जी ने नए युवाओं को आन्दोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर उम्मीद और संघर्ष का अनुभव किया और सरकार के रूख को लोकतंत्र के लिए सबसे विनाशकारी बताया।

वीजू कृष्णन, अखिल भारतीय किसान सभा, ने सरकार को किसान, मजदूर, आदिवासी विरोधी बतलाया और उनके द्वारा लाये गए विफल भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लोगों समुदायों की जीत करार दिया। इसके साथ ही नर्मदा घाटी में होने वाले विनाशकारी डूब के लिए गुजरात सरकार और मोदी सरकार के झूठे विनाशकारी विकास को खुली चुनौती दी।

वहीँ सुधीर वोम्बेडकेरे जी ने कहा कि हमें अपनी मांगों को गेट्स न लगाने, झा आयोग की रिपोर्ट पब्लिक करने और दोषियों को सजा देने से आगे बढ़ कर के बड़े बांधों को इसके सामाजिक और पर्यावरण पर पड़ रहे बुरे प्रभावों के देखकर हटाने की मांग करनी चाहिए जैसा की आज अमेरिका कर रहा है।

अरुण श्रीवास्तव (जनरल सेक्रेटरी, जेडीयु), मेजर जनरल (रिटायर्ड) सुधीर वोम्बेडकेरे, डॉ सुनीलम, बी. आर. पाटिल (विधायक, कर्नाटक); कुमार प्रशांत (गाँधी शांति प्रतिष्ठान), वीजू कृष्णन (अखिल भारतीय किसान सभा), गौतम मोदी (एनटीयुआई), सवाई सिंह जी (राजस्थान समग्र सेवा संघ), विमलभाई (माटू जनसंगठन), राजेंद्र रवि (एनएपीएम), अशोक दुबे (रूपांकन, इंदौर), चिन्मय मिश्र (संपादक, सर्वोदय प्रेस सर्विस), अमूल्य निधि, प्रमोद बागड़ी (इंदौर समर्थक समूह), सुरेश एडिगा (एड, अमेरिका), कैलाश मीना (एनएपीएम,राजस्थान), भरत सिंह झाला (गुजरात), दीपक और रमेश जी (बिरसा, झारखण्ड), अरविन्द (झुग्गी झोपडी एकता मंच), विजय भाई (जन जागरण शक्ति संगठन, बिहार), जीकू भाई (नर्मदा असरग्रस्त संघर्ष समिति), राधिका (मजदूर किसान शक्ति संगठन), आराधना भार्गव (किसान संघर्ष समिति), माता दयाल और गंभीरा भाई

(आल इंडिया यूनियन ऑफ़ फारेस्ट वर्किंग पीपल), स्टान्ली जॉनसन (डायनामिक एक्शन), डी. के. प्रजापति (हिन्द मजदूर किसान पंचायत), बिलाल खान (घर बचाओ घर बनाओ आन्दोलन), शिवम् कुमार (एनएपीएम, तमिलनाडु), देवकी (बरगी विस्थापित संघ), राजकुमार सिन्हा (चुटका संघर्ष समिति), बिरांची (चेतना श्रमिक संघ, ओडिशा), कर्णाटक सल्साबिल विद्यार्थी समूह, दिल्ली यूनिवर्सिटी और अन्य राज्यों के छात्र और युवा एवं अन्य ने नर्मदा सत्याग्रह का एक स्वर में समर्थन किया और सरकार के गैरकानूनी और अन्यायपूर्ण डूब के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का एलान किया।

देशभर के 400 समर्थक, सशक्त जन आंदोलनों के साथियों को साथ लेकर सरदार सरोवर से हजारों परिवार, सैकड़ों गाँव और एक नगर के हजारों घर, खेत, सांस्कृतिक स्थल, लाखों पेड़, और ज़िन्दगी डूबाने के खिलाफ है यह संघर्ष। 31 सालों में अहिंसक, सत्याग्रही संघर्ष के चलते 14000 परिवारों को, इस एकमात्र बाँध के विस्थापितों को वैकल्पिक जमीन के साथ पुनर्वास मिला है पर समस्याओं से आज भी भरपूर है। अन्य हजारों परिवारों को जमीन और भूमिहीनों को वैकल्पिक आजीविका का मिलना बाकी है। कुल 45,000 परिवारों का पुनर्वास आधा अधूरा हुआ या पूर्णतः बाकी होते हुए उन्हें कानून अनुसार उजाड़ना या डूबोना संभव नहीं है। 2013 के नए भूअधिग्रहण कानून की धारा 24(2) के तहत 18 याचिकाओं में डूबाने तथा उजाड़ने के खिलाफ इंदौर उच्च न्यायालय का आदेश होते हुए, शासन इन गाँवों की सुरक्षित जमीन, घरों को नहीं डूबा सकती। फिर भी 122 मीo से 139 मीo तक सरदार सरोवर बाँध का निर्माण पूरा किया है और गेट्स खड़े किये हैं, मानों फांसी का फंदा तैयार होकर गर्दन बाहर है।

मेधा पाटकर ने नर्मदा जल जंगल जमीन हक सत्याग्रह के आरम्भ के साथ पानी बढ़ने के साथ राजघाट के किनारे ही शहादत तक डूब से टकराने का एलान किया। और कहा, भ्रष्टाचार एक कारण रहा है, मध्य प्रदेश के 192 गाँव (विशेषतः मैदानी) और एक नगर में आज भी पुनर्वास न होने का। जमीन के बदले पैसा देने का खेल, जमीन खरीदी में फर्जी रजिस्ट्रियां, पुनर्वास स्थलों के निर्माण कार्य में करोड़ों के भ्रष्टाचार से नौकरी गवाना यह सब हो जाने के बाद झा आयोग की रिपोर्ट को शासन ने हाईकोर्ट में क्यों खोलने नहीं दिया?

मo प्रo सरकार भी जानती है कि यह 1000 करोड़ से भी अधिक का भ्रष्टाचार है और इसमें शासकीय कर्मचारी अधिकारियों के साथ-सहयोग से ही कुछ दलालों ने कमाई की है। फिर भी विस्थापितों को दोषी ठहराने आई मध्य प्रदेश शासन अब झा आयोग की रिपोर्ट पर भी टिपन्नी देकर कह रही है कि कोई अधिकारी दोषी नहीं है। कोई कारवाई होगी तो केवल विस्थापितों के खिलाफ और फिर से जांच करने की बाद रिपोर्ट पर स्वतंत्र, संपूर्ण प्रतिक्रिया आन्दोलन और कई अधिवक्ता बाद में प्रस्तुत करेंगे। किस तरह से लोगों के अंगूठे लेकर जमीन का हक छोड़ने मजबूर करते थे, दलालों को प्रोत्साहन देते थे। सत्य छुपाने की कोशिश हुई है, इसलिए शायद झा आयोग की रिपोर्ट भी कई बाते अलग प्रकार से रखती आयी लेकिन पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही हम प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और देंगें जरुर, सत्य देर से सही सामने आता ही है और आएगा। जो देश जानेगा, वह निश्चित ही मानना होगा।

तमिलनाडु

8,856 देशद्रोही : तमिलनाडु का एक ऐसा गांव जिसका हर निवासी जी रहा है देशद्रोह के साए में

तमिलनाडु के कूडनकुलम में 8,856 से अधिक लोग देशद्रोह और भारतीय राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे मुकदमों में फंसाए गए हैं. आज़ादी के बाद देशद्रोह के मुकदमे इतनी बड़ी संख्या में कूडनकुलम शांतिपूर्ण आंदोलन के खिलाफ लगाए गए हैं, इससे ही यह पता चलता है कि आज की सरकार का लोगों के जीवन व स्वास्थय, प्राकृतिक संसाधनों और उनकी जीविका तथा सुरक्षा को लेकर कोई भी सरोकार नहीं बचा है. इदिनथाकारी गाँव, जिसकी आबादी 10,000 है, अक्टूबर 2011 से गाँव के लोग धारा 124(ए) झेल रहे हैं। इस गांव के लोगों पर देशद्रोह का फर्जी मुकदमा कूडनकुलम परमाणु संयंत्र के खिलाफ प्रदर्शन करने की वजह से लगाया गया है। 5 सितंबर को कूडनकुलम परमाणु प्लांट विरोधी आंदोलन के अगुवाकर एस. पी. उदयकुमार ने सर्वोच्च न्यायालय में धारा 124(ए) यानि की राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में जीत हासिल की किंतु अभी भी 140 से ज्यादा देशद्रोह के फर्जी केस यहाँ लोगों पर दर्ज हैं। 5 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय के इस कथन के बाद की की सरकार की आलोचना करना देशद्रोह नहीं है, देश में एक बार फिर सरकार द्वारा अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को राष्ट्रद्रोह के नाम पर दबाए जाने के सच को जनता के सामने लाकर रख दिया है। हम यहां पर कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के विरोध में राष्ट्रद्रोह का आरोप झेल रहे 8,856 गांववालों की स्थिति के संबंध में 12 सितंबर को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित अरुण जनार्दन की रिपोर्ट का एक हिस्सा प्रकाशित कर रहे हैं। संघर्ष संवाद के लिए इसे राहुल त्रिवेदी ने हिंदी में अनुवाद किया है;

पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था कि क्या देशद्रोह नहीं है । लेकिन पांच साल से, अधिकारियों द्वारा मामला लंबा खींचे जाने से, तमिलनाडु का एक पूरा गाँव, जो कि परमाणु संयत्र के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, धारा 124 (ए) झेल रहा है। अरुण जनार्धनन की रिपोर्ट ।

5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार की आलोचना देशद्रोह नहीं है, वही देश के सुदूर दक्षिणी क्षेत्र के एक गाँव में सफ़ेद बोर्ड पर आंकड़ा बदल कर 1,846 दिन कर दिया गया ।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ एक मामले पर था, जिसको इदिन्थाकारई के एस. पी. उदयकुमार ने जीता, लेकिन अभी भी 140 से ज्यादा मामले यहाँ के लोगो पर दर्ज है । भारत के देशद्रोह के नक़्शे में, इदिन्थाकारई अभी शून्य पर है । इदिन्थाकारई और कुडनकुलम गाँव में उदयकुमार की अगुवाई में 2011 से कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, जिसमे 8,956 लोगों के खिलाफ देशद्रोह के 21 मामले दर्ज किये गए हैं - जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है ।

इन मामलों में कुछ होने की उम्मीद किसी को भी नहीं है, यहाँ तक कि पुलिस को भी । लगभग सभी 380 एफ आई आर (जिनमे से 240 सुप्रीम कोर्ट के अक्टूबर 2014 के आर्डर के बाद वापस ले ली गयी थी) में पहले उदयकुमार का नाम था बाद में पांच या दस दूसरे आरोपियों का नाम है और सभी एफ आई आर के अंत में लिखा है "बाकि 300 या 3000 लोग"। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि ऐसा दो वजहों से किया गया - एक तो लोगो को डराने के लिए; दूसरा जब हम 2000 या 5000 लोगों पर कई मामले दर्ज कर रहे थे तो सभी सैकड़ों और हजारों लोगों का नाम लिखना अव्यहवारिक था ।

तो, अब पांच साल से, तमिलनाडु का इदिन्थाकारई गाँव, जिसकी आबादी 10,000 है धारा 124 ए, जो कि देशद्रोह की धारा है, झेल रहा है । ज्यादातर आरोपी जिनके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के तहत 21 दूसरे मामले दर्ज है जिसमे " भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने या युद्ध उकसाने" का मामला है - ऐसा अपराध जिसमे मृत्युदंड तक प्रावधान है ।

ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि उनके मामलों की स्थिति क्या है;

अधिकांश लोगों ने अपने खिलाफ हुई एफ आई आर तक नहीं देखी है । अभी तक देशद्रोह का कोई भी मामला हटाया नहीं गया है ।

देशद्रोह का पहला मामला (अपराध संख्या 315): 15 अक्टूबर, 2011

कितने लोगों पर मामला दर्ज हुआ: 10

6800 मेगा वाट वाला कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, जो कि 1988 से चल रहा है और जो इदिन्थाकारई के प्रदर्शन वाली जगह से मात्र आधा किलोमीटर दूर है, के खिलाफ प्रदर्शन 2011 में शुरू हुआ, कमीशनिंग की तारीख से पहले। इस प्रदर्शन की अगुवाई महिलाओं ने की क्योंकि पुरुष ज्यादातर समय मछली लेने के लिए समुद्र पर जाते थे।

एडवोकेट सी रसरथिनम, जिन्हें केस डाक्यूमेंट्स में भी चेम्मानि के नाम से जाना जाता है, ने कहा पहला देशद्रोह का मामला कुडनकुकम जंक्शन के पास रोड रोको आंदोलन के बाद 15 अक्टूबर को दर्ज किया गया। चेम्मानि पीपल्स मूवमेंट अगेंस्ट न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े है जो की इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहा है।

उदयकुमार, पीपल्स मूवमेंट अगेंस्ट न्यूक्लियर एनर्जी के संयोजक, एक पादरी, फादर माइकल पांडियन जेसुराज को अपराध संख्या 315 में नामित किया गया।

उदयकुमार को सभी 300 एफ आई आर, जिनमे 21 देशद्रोह के मामले, धारा 121 के सभी 21 मामले और 100 आपराधिक मामले शामिल हैं, में मुख्य आरोपी बनाया है। उदयकुमार हँसते हुए कहते कि ये सिर्फ एक अनुमान है। उन्हें खुद नहीं पता कि इन पांच सालों में उनके ऊपर देशद्रोह के कितने मामले दर्ज है ।

देशद्रोह - 4 सेंट लॉड्र्स चर्च कंपाउंड में प्रदर्शन के लिए बने पंडाल में बैठी महिला प्रदर्शनकारियों पर, जिनमे उदयकुमार भी शामिल है, आरोप है कि उन्होंने चर्च से धन लेकर प्रदर्शन किया है। इसने पीपल्स मूवमेंट अगेंस्ट न्यूक्लियर एनर्जी को विदेशी फंडिंग मिलने के आरोपों को भी हवा दे दी।

वी नारायणसामी, तत्कालीन राज्य मंत्री और अभी के पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, उन कांग्रेसी नेताओं में से थे जिन्होंने पीपल्स मूवमेंट अगेंस्ट न्यूक्लियर एनर्जी पर हमला किया। जब उनसे आरोपों के बारे में पूछा गया तो, नारायणसामी ने कहा, "मैंने तो तभी कहा था जब मैं मंत्रालय में था। अब आप अभी की सरकार से पूछें।" लेकिन क्या आप अभी मानते है कि पीपल्स मूवमेंट अगेंस्ट न्यूक्लियर एनर्जी को विदेशी फंडिंग मिल रही है? "अब आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं?" उन्होंने कहा। "वो सब अब खत्म है."

उदयकुमार के लिए नहीं - हालांकि इतने सारे मामलों के बाद भी उनको अभी तक कोर्ट से कोई सम्मन नहीं मिला है। उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और उन्हें सिर्फ एक बार हिरासत में लिया गया जब वो दो साल पहले एक कांफ्रेंस के लिए नेपाल जा रहे थे । वे बताते है, "सूत्रों से पता चला कि अभी 35 मामलों में चार्जशीट दायर होने वाली है; बाकि के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है।

चेम्मानि कहते है कि इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, क्यूंकि "वहाँ पर कोई हिंसा नहीं हुई और न ही सार्वजनिक जीवन में कोई व्यवधान पड़ा"। "वे सिर्फ प्रदर्शनकारियों को डराना चाहते हैं।" उन्होंने कहा कि, उदहारण के लिए, जिन लोगो पर मामला दर्ज किया गया है उन्होंने दो साल तक गिरफ्तार होने के डर से गाँव नहीं छोड़ा ।

उदयकुमार ने बताया कि उन लोगों पर आगजनी, तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ नारे लगाने, हत्या के प्रयास, देशद्रोह और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए मामले दर्ज किये थे।

हालाँकि सुप्रीम कोर्ट के अक्टूबर 2014 के आर्डर के बाद 380 मामलों में से सिर्फ 240 रखे हैं, वहीँ न तो देशद्रोह का कोई मामला हटाया गया है और न ही धारा 121 (ए)में से कोई मामला हटाया गया है।

एंटोनी केबिस्टन, एक अन्य आरोपी ने बताया, "फादर जयकुमार को भी तिरुनेलवेली के बिशप हाउस से फ़ोन आया कि वो गाँव छोड़ कर चले जाएं लेकिन उनको हमारे साथ खड़े होना पड़ा।"

जल्द ही, जैसे ही पुलिस गाँव में घुसने का प्रयास करती, चर्च की घंटी को जोर जोर से बजाया जाता ताकि गाँव वाले सावधान हो जाएँ और बिल्डिंग को कवर कर लें।

एंटोनी केबिस्टन कहते हैं कि एक पुजारी की उपस्थिति ने उनके आंदोलन को "सफल और शांतिपूर्ण" बना दिया। "एक तरफ फादर जयकुमार सिर्फ पुजारी थे तो दूसरी तरफ फादर

उन्होंने आगे बढ़ कर इसमें हिस्सा लिया।"

22 नवम्बर 2011 को देशद्रोह का मामला

17 लोगों को बुक किया गया; बाकि 600 लोगों को

22 नवम्बर 2012 को देशद्रोह के मामले में 17 लोगों बुक किया गया जिसमे 2 महिलाएं भी शामिल है; बाकि 425 लोगों को

7 मई 2012 को उदयकुमार और 2265 लोगों को बुक किया गया

7 मई 2012 को उदयकुमार और 565 लोगों को बुक किया गया

2012 में पहले रिएक्टर की ओपनिंग से पहले, ग्रामीणों ने अपने विरोध को वल्लिईयुर और नागरकोइल जैसे आस पास के गाँवों में और शहरों में बढ़ाया और 20,000 लोगों को इस आंदोलन की ओर आकर्षित किया।

सरकार ने हालाँकि संकरनकोविल के 2012 उपचुनावों तक गिरफ़्तारी पर रोक लगाई, जिसके बाद कार्रवाई की मांग शुरू कर दी।

देशद्रोह - 6 गाँव में देशद्रोह के लिए जिन युवाओं को बुक किया गया उनके पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट कर दिए गए, इसकी वजह से कई लोगों को अपनी विदेश जाने की योजनाओं को विराम देना पड़ा।

इन एफ आई आर में और बाकियों में भी एक नाम जो बार बार आया वो था एंटोनी केबिस्टन का, जिनकी खुद की स्टेशनरी की दुकान है इदिन्थाकारई; पुष्परायण और मुगिलन, कार्यकर्ता जो इदिन्थाकारई आये थे इन गाँव वालों का समर्थन करने; मिल्टन, आंदोलन के मुखिया में से एक; सुंदरी, 46 वर्षीय महिला, जिन्होंने तमिलनाडु और गाँव के बाहर की रैलियों की अगुवाई की; एक 65 वर्षीय आंशिक रूप से अंधे दिहाड़ी मजदूर, आदि लिंगम और फादर जयकुमार।

एफ आई आर दिखाती हैं कि सारे मामले तीन पुलिस थानों में दर्ज हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी, जो कुडनकुलम में तैनात थे, ने बताया मामले पज़हवूर थाने और राधापुरम थाने के कहने पर कुडनकुलम थाने में दर्ज किये गए।

"एक डीएसपी रैंक के अधिकारी जो उस समय राधापुरम में तैनात थे ने अपने अधिकारियों के निर्देश पर स्थानीय थानों के लिए अंतिम निर्देश जारी किये। पुलिस के एक इंस्पेक्टर जनरल और साउथ जोन के डिप्टी आईजी ने सीधे तौर पर स्थिति पर नज़र रखी," नाम न लिखे जाने की शर्त पर उन्होंने बताया।

केबिस्टन, जिनके ऊपर देशद्रोह समेत सैकड़ों मामले दर्ज हैं, ने "मीडिया विंग" संभाला। उन्होंने बताया, "मेरे पास बीएसएनएल का डायल-अप कनेक्शन था जिस से मैं आंदोलन के लाइव अपडेट करता था।" एक विडियो, जिसमे उनकी तीन साल की बेटी, नीलोफर, परमाणु विरोधी गाने गा रही है, उन्होंने पोस्ट किया और वो वायरल हो गया।

"वो गाती थी और नारे लगाती थी। वो जयललिता को भी डांट लगाती थी। एक दिन, कुछ शरारती तत्व आये और हमारी दुकान में आग लगा दी। उस हादसे के बाद नीलोफर डर गयी, " केबिस्टन की पत्नी महेस्वरी ने बताया, जो विरोध में दस दिन से उपवास पर हैं।

केबिस्टन तीन सालों तक गाँव छोड़ कर नहीं जा सके क्यूंकि ऐसा डर था कि अगर वो बाहर गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा (कुछ जंगल के रास्तों को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ एक ही रोड इदिन्थाकारई को बाकि दुनिया से जोड़ती है वो कुडनकुलम से होकर जाती है)। जब उनकी बहन की शादी हुई तो उन्हें दूल्हे के गाँव जंगल से लेकर जाना पड़ा," उन्होंने बताया।

44 वर्षीय मिल्ड्रेड राज और उनके तीन बच्चे अभी भी आंदोलन का हिस्सा है। "हम तब तक इसमें हिस्सा लेंगे जब तक हमे सफलता नहीं मिल जाती," वे कहती हैं।

44 वर्षीय मिल्ड्रेड राज और उनके तीन बच्चे भी आंदोलन का हिस्सा है। भले ही उन पर देशद्रोह का मामला हो और सैकड़ों मामले दर्ज हो वो फिर भी रोजाना चर्च पर आती है। उनके दो बेटे हैं जिनकी उम्र 20 और 18 वर्ष की है और एक बेटी है जिसकी उम्र 19 वर्ष है। बेटों के पास इंजीनियरिंग और समुद्री अध्ययन का डिप्लोमा है वहीँ उनकी बेटी अभी कॉलेज में पढ़ रही है। "हम तब तक यहाँ आते रहेंगे जब तक हम सफल नहीं होंगे," मिल्ड्रेड कहती हैं।

मिल्ड्रेड मानती हैं कि मुझे परमाणु ऊर्जा की बारीकियों के बारे में नहीं पता। लेकिन वे पूछती हैं, "जब ये इतना ही सुरक्षित है तो क्यूँ दर्जनों बार इसे आपातकालीन स्थिति में बंद किया गया और उत्पादन में कमी क्यूँ हुई?

कमीशनिंग टेस्ट बार बार फेल क्यूँ हुए और डेडलाइन्स क्यूँ आगे बढ़ाई गयी? कितने वैज्ञानिकों को सुरक्षा मानकों का उलन्घन करने पर सज़ा मिली?

68 वर्षीय लीला, जिन पर भी बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं, मिल्ड्रेड के साथ ही थीं जब उन पर तिरुनेलवेली कलेक्टरेट पर हिन्दू कैडर के मुन्नानी लोगों उन पर विदेशी फंडिंग का आरोप लगा कर हमला कर दिया और उदयकुमार को इसाईओं का एजेंट बताया।

"उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था और हम पर हमला कर दिया," लीला, जो लगभग पूरा दिन आंदोलन में बिताती है। वो हँसते हुए कहती हैं, "क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ मरूँगी?"

सितंबर 2012 में देशद्रोह के 6 मामले

सितंबर 10

कितने लोगों पर मामला दर्ज हुआ: एक मामले में 49 लोगों पर नामजद मामला और 100 लोगों पर; दुसरे मामले में 48 लोगों पर नामजद मामला और 300 लोगों पर; तीसरे मामले में 18 लोगों पर नामजद मामला और 50 लोगों पर; चौथे मामले में उदयकुमार पर और 5000 लोगों पर (जिसे बाद में 2000 लोगों पर किया गया)

सितंबर 11

कितने लोगों पर मामला दर्ज हुआ: एक दर्जन लोगों के साथ 3400 लोगों पर

सितंबर 2012 में पुलिस ने उन महिलाओं और बच्चों पर लाठीचार्ज किया जो सेंट लॉर्ड्स चर्च में प्रदर्शन वाली जगह में जाना चाह रहे थे।

10 सितंबर को 5500 लोगों पर देशद्रोह के चार मामले दर्ज किये गए, अपराध संख्या 345 में ही 5000 लोगों से ज्यादा पर मामला दर्ज किया गया। 11 सितंबर को 3000 लोगों पर देशद्रोह के दो और मामले दर्ज किये गए।

चालीस वर्षीय सुंदरी, जिसने त्रिची जेल में 98 दिन गुजारे और जिस पर एक दर्जन देशद्रोह के मामले सहित 300 से ज्यादा मामले दर्ज है, को 10 सितंबर को गिरफ्तार किया गया। सुंदरी प्रदर्शन कर रही महिलाओं की मुखिया थी जिसमे लगभग 85 सदस्य है और जो सैकड़ों बाकि लोगों से समन्वय स्थापित करती है।

देशद्रोह - 7 कथित तौर पर सुरक्षा का उल्लंघन करने पर और समय सीमा स्थगित करने पर वे कहते है कि सभी आंशिक रूप गलत शिकायतें थीं।

सुंदरी के ससुराल वालों ने देशद्रोह का तमगा लगने के चलते परिवार कर बहिष्कार कर दिया है।

गाँव के बहुत सारे युवाओं को अपने विदेश जाने का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा क्योंकि उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज है और उनके पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं। बहुत सारे युवाओं को अपने पासपोर्ट आवेदनों के संसाधित होने का इंतजार करना पड़ा। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किये छब्बीस वर्षीय के विनोद का पासपोर्ट चार साल पहले ब्लॉक कर दिया गया था, उनको दो महीने पहले ही अपना पासपोर्ट वापस मिला है। विनोद ने बताया, "मुझे दुबई से तीन तीन नौकरियों के लिए बुलावा आया था जिनमे से एक कंपनी तो मुझे डेढ़ लाख रुपये महीने दे रही थी, अब मेरे पास कुछ नहीं है। उन्होंने कभी भी साफ़ तौर पर ये नहीं बताया कि मेरा पासपोर्ट क्यूँ नहीं क्लियर किया गया जबकि उनके पास मेरे खिलाफ दर्ज मामलों में ही कोई सीधा जवाब नहीं था।"

10 अगस्त 2016: 1000 मेगा वाट की क्षमता वाले केएनपीपी को कमीशन किया गया

देशद्रोह के 21 मामले अभी भी हैं

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तमिलनाडु की मुख्य मंत्री ने एक साथ कुडनकुकम परमाणु संयत्र की एक इकाई को दुनिया के सबसे सुरक्षित संयत्रों में से एक बताते हुए कमीशन किया। उन्होंने ऐसा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये किया जब मोदी दिल्ली में थे, पुतिन मास्को में थे और जयललिता चेन्नई में थी।

केएनपीपी साइट के निदेशक आर एस सुन्दर कहते हैं कि गाँव वालों को परमाणु ऊर्जा के बारे में पता नहीं है फिर भी वो इस पर आरोप लगा रहे हैं। "हम उनसे कई बार मिले और उनको कई बार ये समझाया कि ये सुरक्षित है। लेकिन वो ऐसे प्रश्न पूछते है कि जिनकी उनको कोई जानकारी नहीं है,"

सुरक्षा के उल्लंघन पर और समय सीमा के स्थगन के कथित आरोपों पर उन्होंने कहा कि सारी शिकायतें आंशिक रूप से गलत है।

वे कहते हैं, "कई एजेंसियों ने और केंद्र के विशेषज्ञों ने सभी आवश्यक मंजूरियों को प्रमाणित किया है। दुर्भाग्यवश गाँव वाले ए पी जे अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति की बात मानने को भी तैयार नहीं है।"

कमीशनिंग वाले दिन भी घुमावदार सड़क के अंत में जहाँ इदिन्थाकारई में कुछ मुट्ठी भर महिलाएं अपना विरोध दर्ज कराने के लिए चर्च के पास एकत्रित हो गयी। एक दर्जन औरतें तो यहाँ हर रात सोती भी थीं।

सुंदरी, जो प्रदर्शन वाली जगह पर अक्सर आती है, बताती है कि उनकी गृहणी से एक "खूंखार नेता" तक का सफर एक साल में पूरा हुआ। "मैं उन महिलाओं में से थी जो सिर्फ पिक्चर और नाटक देखती थी। अब मैं पहले खबरें देखती हूँ।"

सुंदरी कहती है कि सरकार की ये बात कि परमाणु संयत्र पूरी तरह से सुरक्षित है हज़म नहीं होती। "शहरी लोगों के लिए हम अनपढ़ होंगे क्यूंकि वो समझते है कि वो अंग्रेजी जानते हैं। इसलिए वो चाहते है कि ये परमाणु संयत्र हमारे यहाँ लग जाए ताकि उनके उपभोग की सभी जरूरतें उससे पूरी हो जाएँ। लेकिन हमें पता है कि सुरक्षित क्यूँ नहीं है, हमे पता है कि हमारी सरकार कितनी योग्य है। जब 2004 में सुनामी आया था तब न तो कोई हमे बचाने आया और न ही हमारी नावों को। सरकार के पास जरूरी संसाधनों के बावजूद वो ये पता नहीं कर पाए कि सुनामी आ रही है। सरकार इतनी भी समर्थ नहीं है कि वो एक खोया हुआ जहाज ढूंढ लें या समुद्र में खोये हुए सैनिकों को ढूंढ ले। और वो चाहते है कि हम उनकी बात मान लें कि ये संयत्र सुरक्षित है? हमे अपनी लड़ाई अकेले लड़नी है।"

आईजी रैंक के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें इस मामले की जानकारी है और ऐसे मामले आमतौर पर छ महीने में बंद कर दिए जाते है। "हम फाइल में लिख देते है कि 'आगे की कार्यवाई खत्म'। लेकिन कुडनकुलम और इदिन्थाकारई वाले मामले पेचीदा है क्योंकि हमे गांववालों पर नज़र रखनी पड़ती थी। इन आरोपों को बनाये रखने से उनका गुस्सा ठंडा पद सकता है; 8000 से ज्यादा लोगों पर मामले दर्ज है जिससे उन लोगों में यह डर होगा कि वे लोग ऐसे प्रदर्शन फिर से न करें।"

जब उनसे आगे की कार्यवाई के बारे में पुछा गया तो उन्होंने कहा कि अब जांच के लिए या चार्जशीट दायर करने के लिए कुछ नहीं है। "ये मामले जो दर्ज हुए है वो लोगों में डर कायम करेंगे। जब मैं पांच साल बाद इसकी तरफ देखता हूँ तो समझ में आता है कि उन 8000 लोगों पर जो मामले धारा 121 और 124 (ए) के तहत दर्ज किये गए उनसे काम हुआ है।

इदिन्थाकारई के समुद्र के किनारे जिसको 'ब्रोकन कोस्ट' यानि 'टूटा हुआ तट' कहा जाता है खड़ी होकर सुंदरी कहती है अब उनको इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि उन पर कितने मामले दर्ज हो रहे हैं। "वो हमे आतंकवादी कहते है तो कहने दो। हमे पता है हम कौन है।" 5 सितंबर को इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार की आलोचना देशद्रोह के अन्तर्गत नहीं आता, देश के सुदूर दक्षिणी हिस्से के गाँव में व्हाइट बोर्ड का आंकड़ा बदल कर 1,846 कर दिया गया।

नई दिल्ली

9 अगस्त 2016 : 75 साल बाद फिर गूंजी 'बहुराष्ट्रीय कम्पनियां' भारत छोड़ो की आवाज़

9 अगस्त 2016 को भारत छोड़ो आंदोलन के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी दिन 1942 में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देकर इस आंदोलन की शुरुआत की थी। देश को आजाद हुए 68 साल बाद हालत यह है कि पूरा देश विदेशी पूंजी, काले कानूनों तथा मानवाधिकार हनन के नीचे दबा हुआ है। देश की तमाम मेहनतकश जनता को इस उत्पीड़न की व्यवस्था से मुक्ति दिलाने और एक नई क्रांति की अलख जगाने के उद्देश्य से देश के विभिन्न क्रांतिकारी तथा जनवादी संगठन अपने-अपने क्षेत्र में इस दिन को जन-क्रांति दिवस के रूप में मनाया। देश भर में 170 से भी ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी के साथ भारत सरकार से आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जैसे काले कानूनों को रद्द कर इरोम शर्मिला की लड़ाई के साथ एकजुटता प्रदान की, जो 9 अगस्त 2016 को अपने 16 साल से चल रही भूख हड़ताल को समाप्त कर एक नए स्तर पर लड़ाई को जारी रखेंगी। हम यहां पर इस संदर्भ में किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुनीलम का पर्चा आपसे साझा कर रहे हैं;

प्रिय साथियों,

जिंदाबाद!

आप जानते ही हैं कि 9 अगस्त 1942 जनक्रांति दिवस आजादी के आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन अंग्रेजों भारत छोड़ो- करो या मरो की महात्मा गांधी की अपील को लेकर देश भर में जनक्रांति की शुरुआत हुई थी जिसमें पचास हजार आंदोलनकारी शहीद हुए और एक लाख भारतीयों को जेल जाना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा पांच सौ अड़तीस बार आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई गईं। अगस्त क्रांति की परिणिती 15 अगस्त को हुई जब देश में सत्ता का हस्तांतरण हुआ जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के तौर पर देश भर में शासकीय क्रार्यक्रमों के साथ जोर-शोर से मनाते हैं। लेकिन अगस्त क्रांति के शहीदों को देश भर में कम स्थानों पर ही मनाया जाता है। अगस्त क्रांति तथा उसके शहीदों को याद करने के लिए देश भर के संगठनों ने सौ से अधिक जिलों में जनक्रांति दिवस मनाने का फैसला किया है। इस बार नौ अगस्त का दिन इस लिए भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इंफाल में गत सोलह वर्षों से आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट रद्द करने की मांग को लेकर अनशन कर रही इरोम शर्मिला ने समर्थकों की अपील पर 9 अगस्त 2016 को अनशन समाप्त करने का फैसला किया है। अब इस संघर्ष को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उन सब साथियों की है जो यह मानते हैं कि किसी भी सरकार को कानून बनाकर नागरिकों पर गोली चलाने, उन्हें गिरफ्तार करने, उनकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार नहीं है तथा इस तरह का अपराध करने वाले अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज न होने देने की कानूनी छूट पूरी तरह से असंवैधानिक है।

ऐसे समय में जब सर्वोच्च न्यायालय भी आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के दुरुपयोग को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुका है तथा यूपीए सरकार द्वारा गठित किए गए कमीशन ने भी इसे एएफएसपीए को रद्द करने की अनुशंसा की थी यह जरूरी हो गया है कि हम नौ अगस्त को यह संकल्प लें कि हम इरोम शर्मिला द्वारा छेड़ी गई लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाने के लिए तन-मन-धन से प्रयास करेंगे। हम इरोम शर्मिला को इस कार्यक्रम के माध्यम से यह विश्वास भी दिलाना चाहेंगे कि उनकी 16 वर्ष की तपस्या बेकार नहीं जाएगी तथा एएफएसपीए रद्द होने तक संघर्ष जारी रहेगा।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने शहादत इसलिए नहीं दी थी कि जनता द्वारा बनाई गई सरकारें अपने ही नागरिकों को गुलाम बनाकर रखें तथा आफ्पसा जैसे कानून की आड़ में जघन्य अपराध करने का षड़यंत्र करें। देश के शहीद समतावादी समाज की रचना करना चाहते थे जिसमें हर नागरिक को हक और सम्मान मिले तथा वह लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता, समाजवाद के मूल्यों को जी सके।

-डॉ . सुनीलम

पर्यावरण भवन पर सरदार सरोवर बांध के गेट बंद करने के प्रस्तावित निर्णय के ख़िलाफ़ प्रदर्शन

29 अगस्त 2016 को दिल्ली स्थित पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के भवन पर सामाजिक संगठनों, कार्यकर्ताओं और छात्र-नौजवानों और नर्मदा बांध प्रभावितों ने 31 अगस्त को नर्मदा कण्ट्रोल अथॉरिटी के पर्यावरण सब ग्रूप की प्रस्तावित मीटिंग के ख़िलाफ़ अपना विरोध प्रदर्शन किया। 6 साल बाद इस कमिटी की बैठक सिर्फ इस लिए हो रही है कि सरदार सरोवर बाँध के गेट बंद करने का निर्णय किसी भी तरह ले लिया जाए। पढ़ें नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रेस विज्ञप्ति;

नई दिल्ली , 29 अगस्त 2016 : आज दोपहर नर्मदा बचाओ आंदोलन ने 31 अगस्त को नर्मदा कण्ट्रोल अथॉरिटी के पर्यावरण सब ग्रूप की प्रस्तावित मीटिंग के ख़िलाफ़ अपना विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलन का विरोध इस मीटिंग के ख़िलाफ़ था, क्योंकि 6 साल बाद यह कमिटी मिल रही है और उसका मुख्य मुद्दा यह है की सरदार सरोवर बाँध के गेट बंद करने का निर्णय किसी भी तरह ले लिया जाए ताकि 138 मी पानी भर सकें। मालूम हो की नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी (NCA) का गत सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ था और समयबद्ध तरीक़े से सरदार सरोवर बाँध से जुड़े पुनर्वास और पर्यावरणीय मुद्दों पर पूरी नज़र रखी जाए और पर्यावरणीय मंजूरी और पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक़ हो सके। जून 1987 के दिए पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों को आज तक पूरा नहीं किया गया, बेपनाह पर्यावरणीय क्षति हुई, घने जंगल नष्ट हुए हैं, प्रशासन की नाक के नीचे नर्मदा नदी के तट पर निजी और सरकारी ज़मीन पर रेत खनन माफ़िया ने क़ब्ज़ा कर गैरकानूनी खनन की है, फिर भी नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी ने कोई ख़ैर नहीं ली। आंदोलन की अथक प्रयासों से आज रेत खनन माफ़िया पर लगाम लगी है । इसके विरोध में आज मध्य प्रदेश, महारष्ट्र, गुजरात से आये कई लोगों ने इंदिरा पर्यावरण भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया । कैलाश भाई ,बडवानी (मध्य प्रदेश) ने कहा की हम इतने सालों से नर्मदा के लिए लड़ रहे हैं और सरकार हमेशा की तरह झूठा आश्वासन देकर मनमानी कर रही है । कमला देवी, छोटा बरदा (मध्य प्रदेश) ने बताया की सरकार नर्मदा के पेड़ काटकर ये दावा कर रही है की हमने यहाँ जो पेड़ काटे उतने ही पेड़ औरंगाबाद में लगा दिए हैं , औरंगाबाद में पेड़ लगाने से नर्मदा का जनजीवन कैसे लाभान्वित हो सकता है । पूरे घाटी में सरकार का गड़बड़ झाला है । घोटाले ही घोटाले है और सरकार के बनाए हुए समिति या फिर न्यायालय के द्वारा स्थापित समितियों ने भी यही साबित किया लेकिन मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों कान बंदकर सो रही है । क्या यही क़ानून का शासन है ?

धरने में दिल्ली के कई संगठनों के साथी भी आए, जिसमें प्रमुख तौर पर दिल्ली समर्थक समूह, राष्ट्रीय घरेलू कामगार यून्यन, जन आंदोलनों का र्राष्ट्रीय समन्वय, झुग्गी झोपड़ी एकता मंच, फ़िल्मकार सागरी छाबरा, राजेंद्र रवि, पर्यावरणविद सौम्या दत्ता और अन्य शामिल हुए । दो घंटों की ज़दमज़द के बाद, नर्मदा बचाओ आंदोलन का शिष्ट मंडल, मेधा पाटकर जी के नेतृत्व में पर्यावरण मंत्री श्री अनिल माधव दवे जी से मिला।

आंदोलनकरियों ने मंत्री महोदय को सबसे पहले अपने रोष जताया की 31 अगस्त को प्रस्तावित मीटिंग में बिना कोई पर्यावरणीय अध्ययन किए, ज़मीनी हक़ीक़त की जाँच किए सरकार कैसे बाँध के गेट बंद करने का मुद्दा भी सोच सकती है । प्रतिनिधि मंडल ने एक एक कर मंत्री महोदय को बताया की नर्मदा विकास प्राधिकरण और NCA पूरी तरह से विफल रहा है 1987 के शर्तों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को पूरा करने में। कमांड एरिया ट्रीटमेंट एवं कमांड एरिया डेवलेपमेंट दोनों पूरे नहीं हुए हैं ।

और सरकारी आँकड़ों के हिसाब से लगभग 41% काम ही पूरा हुआ है, लेकिन नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी ने पूरी तरह से अपनी ज़िम्मेदारी से हाथ धो लिया है, ऐसे में वह किस हैसियत से किसी भी मंज़ूरी को दे सकता है।

मेधा पाटकर जी ने कहा यह एक घाटी और उसमें रहने वाले लाखों लोगों की संस्कृति के साथ सरकार जलसमाधि दे देगी, अगर आज के दिन बाँध के गेट बंद करने का निर्णय होता है ।

मंत्री महोदय नर्मदा के संरक्षण की बात करते है, लेकिन 'नर्मदा समग्र' में नर्मदा के बेटे बेटियाँ भी तो शामिल हों, उनकी आज कोई नहीं सुनने वाला। यह सौभाग्य है की अनिल माधव दवे जी मंत्री हैं, कमसे कम उन से तो हम न्याय की उम्मीद करें, लोगों की ख़ातिर नहीं तो नर्मदा मैया के ख़ातिर ही सही।

गुजरात से आए जिकु भाई और दिनेश भाई ने कहा की गुजरात में हम 15 जुलाई से लगातार बैठे हैं, सरकारी उपेक्षाओं के बावजूद के लेकिन आज हम तराश रहे हैं नर्मदा की बसाहटों में बिना पानी के और बीमारी के बीच। क्या यही न्याय और सही पुनर्वास है ? गुजरात के चमकने का दावा हमारे मोदी जी करते हैं लेकिन वहीं ग़रीबों की कोई क्यों नहीं सुनता ? हम किसी से कोई भीख नहीं माँग रहे, क़ानून के हिसाब से हमारा हक़ माँग रहे हैं और अगर यह हक़ माँगना गुनाह है तो हम दोषी हैं, इस न्याय व्यावस्था के, और हमें यह दोष क़बूल है, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी।

पर्यावरण मंत्री ने सभी मुद्दों को ध्यान से सुना और कहा की सम्बंधित अधिकारियों और सचिव के साथ मिलकर सभी मुद्दों को हाल करने की कोशिश करेंगे। पर्यावरणीय सचिव के साथ उन्होंने बात कर 31 अगस्त की मीटिंग का भी जायज़ा लेने की बात की। आंदोलन ने कहा की है की सरकार को बाँध से सम्बंधित निर्णय लेना पड़ेगा, पर्यावरण की क्षति की जांच करनी पड़ेगी तथा रेत खनन, फर्जीवाड़ा, पुनर्वास आदि मुद्दों पर बात सुननी होगी नहीं तो नर्मदा किनारे राजघाट पर 31 जुलाई से चल रहा सत्याग्रह अनिस्चित चालू रहेगा।

प्रिकॉल मजदूरों का दमन : दिल्ली पहुंची प्रिकॉल मजदूरों की आवाज़, रेजिडेंट कमिश्नर को ज्ञापन

नयी दिल्ली 7 सितम्बर 2016; दिल्ली के उत्तराखण्ड भवन पर इंकलाबी मजदूर केन्द्र, मजदूर एकता केन्द्र, श्रमिक संग्राम कमेटी, क्रान्तिकारी नौजवान सभा, मजदूर पत्रिका और परिवर्तनकारी छात्र संगठन के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने पहुँच कर रुद्रपुर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे मजदूरों पर बर्बर पुलिसिया दमन के दोषी अधिकारीयों पर कार्यवाही और मजदूरों पर दायर फर्जी केस वापस लेने की मांग को लेकर रेजिडेंट कमिश्नर को एक ज्ञापन दिया गया ;

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

द्वारा—रेंजीडेंट कमिश्नर, उत्तराखंड

नई दिल्ली

विषयः रुद्रपुर (उधमसिंह नगर) में प्रिकॉल के मजदूरों के आंदोलन पर बर्बर दमन के संबंध में।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित ही होगा कि उत्तराखंड के रुद्रपुर में स्थाईकरण और ओवरटाइम का दुगनी दर से भुगतान आदि मांगों को लेकर अनशन पर बैठे प्रिकॉल के मजदूरों का उत्तराखंड पुलिस द्वारा 5 सितंबर 2016 को बर्बर दमन किया गया। इस बर्बर दमन में कई महिलाओं के कपड़े तक पुलिस द्वारा फाड़ दिए गए। उन्हें सिर के बाल पकड़ कर घसीटा गया, कई मजदूर घायल हुए तथा 21 मजदूरों को विभिन्न फर्जी धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। महोदय उत्तराखंड के शासन-प्रशासन की यह कार्रवाई पूंजीपतियों के इशारे पर की गई एक बेहद शर्मनाक एवं निंदनीय कार्रवाई है। हम आंदोलनकारी संगठनों के प्रतिनिधि उत्तराखंड सरकार की इस घोर मजदूर विरोधी कार्रवाई की भर्त्सना करते हुए मांग करते हैं कि -

1. प्रिकॉल के 21 गिरफ्तार मजदूरों को तत्काल रिहा किया जाए और उन पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं।
2. 2. मजदूरों के बर्बर दमन के लिए दोषी अधिकारियों को दंडित/निलंबित किया जाए।
3. प्रिकॉल के मजदूरों की सभी मांगे पूरी की जाए।
4. मजदूर आंदोलन में पुलिस हस्तक्षेप पर रोक लगाई जाए।

असम

काजीरंगा में जबरन विस्थापन का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस फायरिंग, 2 की मौत, दर्जनों घायल

19 सितम्बर 2016 को असम की भाजपा सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क के पास नगांव जिले के कालियाबोर उप-खंड के अंतर्गत बंदेरदुबी और देओचरचांग क्षेत्र को खाली कराने का फैसला किया है। यहां के निवासियों ने पर्याप्त मुआवजा लिये बगैर क्षेत्र को खाली करने से इनकार कर दिया था। 190 परिवारों को बंदेरदुबी और 160 परिवारों को देओचरचांग से हटाया जा रहा है. पुलिस की गोलीबारी में एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई जिनकी पहचान अंजुम खातून और फखरद्दीन के रूप में की गई है।

क्षेत्र को खाली करने से पहले मुआवजे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर की गई पुलिस की गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई और दो दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं. गोलीबारी में घायल हुये लोगों को जखालाबंध स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। कई परिवार अपने सामान के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 37 चले गये हैं।

दोनों क्षेत्रों में कई दिनों से कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी लेकिन 19 सितम्बर को जैसे ही खाली कराने का काम शुरू किया गया प्रदर्शनकारियों ने विरोध शुरू कर दिया जिसकी वजह से स्थिति तनावपूर्ण हो गई। बंदेरदुबी में मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से दूर हटने के लिए कहा लेकिन स्थानीय लोग पीछे नहीं हटे जिसके बाद पुलिस को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस और गोलीबारी का सहारा लेना पड़ा।

कृषक मुक्ति संग्राम परिषद के नेता अखिल गोगोई ने मांग की है कि खाली कराने से पहले परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए।

संघर्ष संवाद देश में चल रहे आन्दोलनों की सूचनाएं, उनके लिए उपयोगी जानकारी एवं विश्लेषण मुहैया कराने वाली एक पत्रिका है। जून 2012 से इसके वेब-संस्करण (www.sangharshsamvad.org) की शुरूआत की गयी है जिसमें आप सबका स्वागत है।

आपसे अनुरोध है कि आप अपने या अपने इलाके में चल रहे जनसंघर्षों की रिपोर्ट संघर्ष संवाद से साझा करें ताकि दूसरे आन्दोलनों के साथियों को भी आपके आंदोलन के बारे में जानकारियाँ मिलती रहे। एक दूसरे के संघर्षों से सीखना और संवाद कायम करना आज के दौर में जनांदोलनों को एक सफल मुकाम तक पहुंचाने के लिए जरूरी है।

आप अपने जन संघर्षों के बारे में जानकारी sangharshsamvad@gmail.com पर ईमेल द्वारा दे सकते हैं अथवा निम्न पते पर डाक द्वारा भी भेज सकते हैं।

संघर्ष संवाद

ए-124/6, दूसरी मंजिल, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110 016

फोन/फैक्सः 011-26968121/26858940

ईमेलः sangharshsamvad@gmail.com